बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

सूचना का अधिकार

मैनुअल– 17

समाज कल्याण विभाग

अध्याय–2 (मैनुअल–1)

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्त्तव्य

1. **लोक प्राधिकरण के उद्येश्य :–** लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के पश्चात भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा गरिमा बनाये रखना प्रथम कर्त्तव्य होगा । इस प्रयोजन हेतु संविधान में समानता के अधिकार को स्थान दिया गया । भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत विभेद एवं असमानता को ध्यान में रखते हुए नीति निदेशक सिद्धान्तों के माध्यम से समाज के उपेक्षित एवं शोषित वर्ग को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय दिलाने हेतु राजकीय संगठन में समाज कल्याण विभाग की स्थापना करते हुए निर्बल एवं शोषित वर्गों के सर्वांगीण विकास का दायित्व सौंपा गया है । इसके अन्तर्गत मुख्यतः महिलायें, बच्चें, निःशक्त, वृद्ध का बहुमुखी विकास तथा सामाजिक कूरितीयां दूर करने का कार्य निरुपित किया गया है ।
2. **लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन :–** समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं तथा बच्चों के शैक्षणिक विकास, आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाता है । सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं का कार्यान्वयन इस विभाग का मुख्य कार्य है । महिलाओं एवं बच्चों के पोषाहार एवं 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा तथा स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम भी समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है ।
3. **लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और गठन का प्रसंग :–** समाज के उपेक्षित तथा शोषित वर्ग के सर्वांगीण विकास का ध्येय संविधान निर्माताओं द्वारा रखी गई । इस उद्येश्य की पूर्त्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग की स्थापना कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या– 1/पी–1–1–009/2000 एवं का0–5383 दिनांक– 26–6–2000 द्वारा की गई । पूर्व में यह विभाग कल्याण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत था। इसके अन्तर्गत महिलाओं, बच्चों तथा निःशक्तों के लिए विभिन्न कार्यक्रम रखे गये योजनाओं को सही दिशा देने के उद्येश्य से राज्य सरकार ने पुनः कल्याण विभाग का पुनर्गठन तीन विभागों में यथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछडा वर्ग कल्याण विभाग तथा समाज कल्याण विभाग के रूप में गठित किया गया है । इस प्रकार 1 अप्रैल 2007 से समाज कल्याण विभाग स्वतंत्र विभाग के रूप में कार्य कर रही है ।

4. **लोक प्राधिकरण के कर्त्तव्य :–** समाज कल्याण विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जाते है :–

1. भिखमंगों का पुनर्वास ।
2. यौन कार्यकर्त्ताओं का पुनर्वास ।
3. महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण तथा सशक्तिकरण संबंधी सभी कार्य ।
4. महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष पोषाहार योजना ।
5. समाज कल्याण बोर्ड ।
6. दहेज प्रथा का उन्मूलन ।
7. महिला तथा बालों के कल्याण, विकास तथा अधिकारिता से संबंधित सभी अधिनियमों का प्रशासन ।
8. विभाग में नियोजित सभी वर्ग के पदाधिकारियों का नियंत्रण ।
9. कल्याण बोर्ड तथा दत्तक ग्रहण से संबंधित सभी अधिनियमों का प्रशासन ।
10. विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक भार ।

11. सभी प्रकार के विशेष सुधार गृहों का नियंत्रण एवं प्रशासन, जैसे :— बाल सुधार गृह, औबजरवेशन होम, ऑफ्टर केयर होम, सेल्टर होम, विशेष गृह, शिशु गृह इत्यादि ।

12. निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित सभी अधिनियमों का प्रशासन तथा इनके कल्याणार्थ भी योजनाओं का कार्यान्वयन ।

13. वृद्धावस्था/सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण ।

14. वरीय नागरिकों के कल्याण से संबंधित सभी कार्य एवं योजनायें ।

15. निःशक्तता अधिनियम अन्तर्गत निःशक्तों के कल्याणार्थ चलायी जा रही सभी योजनाओं का कार्यान्वयन ।

16. जाति प्रथा का उन्मूलन ।

17. नशामुक्ति एवं नशाग्रस्त व्यक्तियों का पुनर्वास ।

18. अपराधशील जनजातियों तथा समाज वहिष्कृत अन्य जातियों का पुनर्वास ।

19. भूतपूर्व अपराधशील जनजातियों के लिए विशेष गृह निर्माण योजनायें ।

5. **लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य/कार्य क्षेत्र :—** उपर्युक्त उद्येश्यों के पूर्त्ति हेतु समाज कल्याण समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत तीन निदेशालय है :—

आई. सी. डी. एस. निदेशालय के अन्तर्गत विशिष्ट उपलब्धियॉ :—

I. पूरक पोषाहार कार्यक्रम का विकेन्द्रीकरण :—

राज्य सरकार द्वारा ''ऑगनबाड़ी केन्द्र स्तर पर पूरक पोषाहार का विकेन्द्रीकरण योजना'' वित्तीय वर्ष 2000—2001 में प्रारंभ की गई है। संप्रति बिहार राज्य, देश का पहला राज्य है जहॉ पूरक पोषाहार कार्यक्रम को संपूर्ण रूप में विकेन्द्रीकृत किया गया है। इतना ही नहीं माननीय सर्वोच्च नयायालय ने सभी राज्यों में पूरक पोषहार कार्यक्रम की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था लागू करने का आदेश दिनांक 07.10.2004 को पारित किया है।इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक ऑगनबड़ी केन्द्र पर ''पोषाहार वितरण कार्यान्वयन समिति'' के सहयोग से पोषाहार सामग्रीयों का क्रय एवं वितरण किया जाता है। समिति में संबंधित ऑगनबाड़ी सेविका सदस्य सचिव तथा लाभान्वित परिवारों द्वारा चयनित महिला अध्यक्ष होती है तथा लाभान्वितों द्वारा लाभान्वित महिला समूह में से चयनित तीन सदस्या, ग्राम पंचायत के मुखिया तथा संबंधित टोले के ग्राम पंचायत सदस्य भी सदस्य होते है।

समेकित बाल विकास सेवाऍ (ICDS) निदेशालय :—

इस निदेशालय के द्वारा मुख्यतः आई.सी.डी.एस. की योजना संचालित होती है, जिसके अन्तर्गत समेकित रूप से 0—6 वर्ष के बच्चों, गर्मवती तथा धातृ महिलाओं व किशोरी बालिकाओं को 1. पूरक पोषाहार (Supplementary Nutrition) 2. स्कूल पूर्व शिक्षा (Pre-School Education) 3. टीकाकरण (Immunization) 4. स्वास्थ्य जॉच (Health Checkup) 5. संदर्भित सेवायें (Referral Services) 6. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा (Nutrition & Health Education) सहित छः प्रकार की सेवाऍ प्रदान की

जाती है। योजना के कार्यान्वन हेतु नीतिगत विषयों, बजट, प्रशिक्षण संबंधी आवशकय कार्य, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन आदि का कार्य भी होता है।

- 0–6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती तथा धात्री महिलाओं व किशोरी बालिकाओं को इस कार्यक्रम द्वारा सेवाएँ प्रदान की जाती है।
  क्रम संख्या 3 से 6 में अंकित सेवाएँ स्वास्थ विभाग के समन्वय से किए जाते हैं।

पूरक पोषाहार कार्यक्रम

- **6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों** (कुपोषित – रू. 6.00 प्रतिदिन की दर से एवं अतिकुपोषित – रू. 9. 00 प्रतिदिन की दर स्वीकृत)
- माह में एक बार 15 तारीख को 25 दिनों के लिए घर ले जाने हेतु टेक होम राशन (ज्भ्त्) दिया जाता है।
- वर्त्तमान में लगभग 35 लाख बच्चों इससे लाभान्वित हो रहे हैं।

लाभार्थी	लाभार्थी वर्ग	चावल	दाल	अतिरिक्त पोषण
6 माह से 3 वर्ष के बच्चे	सामान्य रूप से कुपोषित बच्चे	2.5 कि.ग्रा. (प्रति बच्चा/ प्रति माह)	1.250 कि.ग्रा. (प्रति बच्चा/ प्रति माह)	सोयाबड़ी (250 ग्राम)/उबला अंडा (सप्ताह में दो बार बुधवार–शुक्रवार को)
6 माह से 3 वर्ष के बच्चे	अतिकुपोषित बच्चे	4 कि.ग्रा. (प्रति बच्चा/ प्रति माह)	2 कि.ग्रा. (प्रति बच्चा/ प्रति माह)	सोयाबड़ी (250 ग्राम)/उबला अंडा (सप्ताह में दो बार बुधवार–शुक्रवार को)

3–6 वर्ष तक के बच्चों के लिए (रू. 6.00 प्रतिदिन की दर स्वीकृत)

- प्रतिदिन आंगनबाड़ी केन्द्र में स्कूल पूर्व शिक्षा ग्रहण करने वाले 3–6 वर्ष के बच्चों को सुबह का नाश्ता तथा गर्म पका भोजन दिया जाता है।
- गर्म पका भोजन प्रतिदिन मेनू के अनुसार, सोमवार, बुधवार और शनिवार को खिचड़ी, मंगलवार को पुलाव, वृहस्पतिवार को सुजी का हलवा और शुक्रवार को रसियाव परोसा जाता है।
- इन्हें सप्ताह में एक दिन (शुक्रवार) को उबला अंडा भी दिया जाता है।
- वर्त्तमान में लगभग 35 लाख 3–6 वर्ष के बच्चे इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

गर्भवती/धातृ महिलाओं (रू. 7.00 प्रतिदिन की दर स्वीकृत)

- माह में एक बार 25 दिनों के लिए घर ले जाने हेतु टेक होम राशन (THR) दिया जाता है।
- वर्त्तमान में लगभग 14 लाख गर्भवती एवं धातृ महिलाऐं इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं।
- वित्तीय वर्ष 2016–17 में पोषाहार मद् केन्द्रांश एवं राज्यांश में **50:50** अनुपात कुल रू0 **96796.36** लाख आंवटित की गई जिसके विरूध रू **95433.75** लाख का व्यय है जो आंवटित राशि का **98.59** प्रतिशत है।

लाभार्थी	लाभार्थी वर्ग	चावल	दाल	अतिरिक्त पोषण

महिलाएं	गर्भवती एवं धातृ	3 कि.ग्रा. (प्रति महिला / प्रति माह)	1.5 कि.ग्रा. (प्रति बच्चा / प्रति माह)	सोयाबड़ी (250 ग्राम) / उबला अंडा (सप्ताह में एक बार शुक्रवार को)

स्कूल पूर्व शिक्षा

- आँगनबाड़ी केन्द्रों पर 3–6 वर्ष तक के बच्चों को खेल, कविता, कहानी एवं अन्य अनौपचारिक माध्यमों से स्कूल पूर्व शिक्षा दी जाती है।
- इसका उद्देश्य बच्चे का सामाजिक, भावनात्मक, ज्ञानात्मक, शारीरिक, मानसिक एवं भाषात्मक विकास है।
- यह बच्चे को औपचारिक स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करता है जिससे पढ़ाई छोड़ने की प्रवृति में कमी आती है।
- प्रत्येक वर्ष स्कूल पूर्व शिक्षा हेतु **PSE Kit** क्रय करने के लिए राशि दी जाती है।
- वित्तीय वर्ष 2016–17 में **PSE** ज्ञपज हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश में 60:40 के अनुपात में केन्द्रांश मद् से रू. 2053.93 लाख तथा राज्यांश मद् से रू. 1369.29 लाख कुल रू. 3423.22 लाख आंवटित किया गया।
- **PSE Kit** क्रय हेतु राज्य स्तर पर निविदा का प्रकाशन किया गया है निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 7.04.2017 है।

आँगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों का पोशाक योजना

- यह शत्–प्रतिशत राज्य योजना है।
- आँगनबाड़ी केन्द्रों पर स्कूलपूर्व शिक्षा प्राप्त करने वाले सभी नामांकित बच्चों को पोशाक के लिए प्रत्येक वर्ष रू **250/–** 2प्रति बच्चा उनके अभिभावकों को दी जाती है।
- सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों का केन्द्रवार माइक्रोप्लान तैयार कर शिविर आयोजित कर पोशाक की राशि का वितरण किया जाता है।
- वित्तीय वर्ष 2016–17 में **33.97** लाख बच्चों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। राज्यांश सामान्य एवं विशेष घटक मद् में कुल रू. **8895.70** लाख आंवटित किया गया जिसके विरूध रू. **8492.79** लाख का व्यय है जो कुल आंवटित राशि का 95.47 प्रतिशत है।

एम.आई.एस. प्रणाली

आई.सी.डी.एस. योजना के अनतर्गत मैनेजमेन्ट इनफोरमेशन सिस्टम को सुदृढ करने हेतु राज्य स्तर पर डाटा सेन्टर की स्थापना की गयी हे। जिला/परियोजना स्तर पर संबंधित कार्यालयों में

कम्प्यूटर की व्यपस्था की गयी साथ ही उक्त कार्यालयों में कम्प्यूटर के संधारण हेतु बेल्टॉन/जिला स्तरीय पैनल से डाटा इन्टी ऑपरेअर की सेवाएँ उपलबध करायी गयी है।

- यह शत्–प्रतिशत राज्य योजना है।
- वित्तीय वर्ष 2016–17 में **638.48** लाख रूपये व्यय किये गए।

<u>आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की कार्य योजना</u>

- वित्तीय वर्ष 2016–17 में मनरेगा एवं आई.सी.डी.एस. के अभिसरण से 1000 आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण करने हेतु ग्रामीण विकास विभाग से सहमति के आधार पर विभिन्न जिलों में निर्माण कार्य की जा रही है।
- प्राक्कलन के आधार पर प्रति केन्द्र रू 5 लाख मनरेगा कार्यक्रम से तथा रू 2 लाख आई.सी.डी.एस. के केन्द्र निर्माण मद् से व्यय किए जाने का प्रावधान है।
- आई.सी.डी.एस. मद् से रू 2 लाख की राशि में 60 प्रतिशत भारत सरकार तथा 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है।
- वित्तीय वर्ष 2016–17 में आंगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण मद् में केन्द्रांश एवं राज्यांश मिला कर कुल रू 2000.00 लाख की राशि सभी जिलों को आंवटित की गई जिसके विरूध रू. 1828.40 लाख का व्यय है जो कुल आंवटित राशि का 91.42 प्रतिशत है।

<u>0–5 वर्ष के बच्चों का आधार पंजीकरण</u>

- ऑगनबाड़ी केन्द्र के 0–5 वर्ष के बच्चों का आधार पंजीकरण का कार्य भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण **(UIDAI)** के चयनित एजेन्सियों के द्वारा किया जा रहा है, पूर्व से 16.27 प्रतिशत बच्चों का आधार है।
- शेष 83.73 प्रतिशत बच्चों के आधार–कार्ड पंजीकरण को त्वरित गति प्रदान करने हेतु आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा महिला पर्यवेक्षिकाओं को टैब एवं बायोमेट्रिक डिवाइस उपलब्ध करा दिया गया है।
- आधार पंजीकरण का कार्य सम्पादित करने हेतु महिला पर्यवेक्षिकाओं का प्रशिक्षण 14 जिलों, यथा– अररिया, अरवल, बक्सर, भोजपुर, दरभंगा, कटिहार, पटना, जहानाबाद, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, नालन्दा, पूर्णियॉ एवं गया में पूर्ण हो चुका है एवं शेष जिलों में इस माह में पूर्ण होने की संभावना है।

राज्य के सभी जिलों में प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात महिला पर्यवेक्षिकाओं के द्वारा आधार पंजीकरण का कार्य किया जायेगा।

सेविका/सहायिका चयन

- सेविका एवं सहायिका के चयन हेतु संशोधित मार्गदर्शिका 5 अप्रिल 2016 को लागू किया गया।
- चयन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नई मार्गदर्शिका के अनुसार सेविका/सहायिका चयन की जिम्मेवारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के स्थान पर महिला पर्यवेक्षिका, को दिया गया है।
- सबंधित वार्ड सदस्य तथा सबंधित पंच को भी चयन समिति में रख गया है।
- राज्य में 91677 स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्र हैं – 86237 सामान्य आंगनबाड़ी केन्द्र – 5440 मिनि आंगनबाड़ी केन्द्र
- कार्यरत सेविका बल 91677 के विरूध 86855 – 94.74:
- कार्यरत सहायिका बल 86237 के विरूध 80100 – 92.88:
- गत माह में 23,041 नए आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना हेतु मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इन केन्द्रों को संचालित करने हेतु निर्देष जारी कर दिए गए हैं, सेविका/सहायिका की चयन प्रक्रिया की जा रही है।

DBT से सेविका/सहायिका का मानदेय एवं राज्य भत्ता का भुगतान

- सेविका एवं सहायिका का मानदेय एवं राज्य भत्ता का भुगतान **DBT** के माध्यम से अक्टुबर 2016 से सीधे उनके बैंक खाते में किया जा रहा है।
- लगभग 99.07 प्रतिशत सेविकाओं एवं 97.40 प्रतिशत सहायिकाओं का बैंक खाता प्राप्त कर उनके मानदेय एवं राज्य–भत्ता (जून 2016 से फरवरी 2017) तक का भुगतान **DBT** के माध्यम से किया गया।
- लगभग 88.34 प्रतिशत सेविकाओं तथा 78.0 प्रतिशत सहायिकाओं का बैंक खाता आधार सं0 से लिंक करा लिया गया है।
- भारत सरकार के **PFMS** पोर्टल से बैंक–खाता एवं आधार सं0 का सत्यापन कराते हुए **DBT** के माध्यम से भुगतान किया जाता है इस कार्य में ।**XIS** बैंक का सहयोग लिया जा रहा है।

Early Childhood Care & Education

- राज्य में आँगनबाड़ी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा कार्यक्रम की गुणवत्ता सुधारने हेतु राष्ट्रीय **ECCE** नीति, 2013 के आलोक में भारत सरकार द्वारा दिए दिशा–निर्देशो के आधार पर कई प्रभावकारी कदम उठाए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं :–
- **State Specific Curriculum** का निर्माण।

- राज्य **ECCE** परिषद् तथा राज्य **ECCE** कार्यकारिणी समिति एवं जिला प्रखण्ड समन्वय समिति अधिसूचित।
- **ECCE** पाठ्यक्रम का मुद्रण एवं पाठ्यक्रम का सभी आँ0 केन्द्रों पर वितरण।
- सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को उन्मुखीकरण प्रशिक्षण।
- प्रत्येक जिले से 2–2 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं प्रथम फेज में 3–3 महिला पर्यवेक्षिकाओं को उन्मुखीकरण प्रशिक्षण पूर्ण।
- पुनः अप्रैल माह में प्रत्येक जिले की 5–5 महिला पर्यवेक्षिकाओं को उन्मुखीकरण प्रशिक्षण की योजना।
- ECCE प्रशिक्षण मद में भारत सरकार से प्राप्त प्रथम किस्त की राशि का जिला एवं सेक्टर स्तरीय प्रशिक्षण हेतु आवंटन तथा इसकी कार्ययोजना एवं दिशा–निर्देश जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को निर्गत।

राजीव गाँधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम– सबला

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य 11–18 वर्ष की किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना तथा उन्हें जीवन कौशल प्रदान कर सशक्त बनाना है।
- यह राज्य के 12 जिलों क्रमशः पटना, बक्सर, गया, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, पश्चिम चम्पारण, वैशाली, सहरसा, किशनगंज, कटिहार, बांका एवं मुंगेर में लागू है।

इसके मुख्य अवयव निम्न है :–

- प्रत्येक माह 22वें दिन टी.एच.आर. दिया जाता है।
- 16 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र की लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण
- पोषण और स्वास्थ्य संबंधित शिक्षा।
- परिवार कल्याण और प्रजनन एवं स्वास्थ्य पर परामर्श और मार्गदर्शन।
- जीवन कौशल और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुचने की शिक्षा।
- IFA की गोलियाँ उपलब्ध कराना।
- स्वास्थ्य जाँच और संदर्भ सेवायें।

गत वर्ष लगभग 19 लाख किशोरियों को लाभान्वित किया गया।

मातृत्व सहयोग योजना (MBP)

- इस योजना का उद्देश्य गर्भवती/धातृ महिलाओं तथा नन्हें शिशु (0–6 माह) के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना है।
- यह योजना राज्य के दो जिलों सहरसा एवं वैशाली में चलाया जा रहा था, जनवरी 2017 से इसे सभी जिलों में लागू कर दिया गया है।

- इसके अंतर्गत गर्भवती/धातृ महिलाओं को निर्धारित शर्तो यथा प्रसव पूर्व जाँच, आयरन की गोली का नियमित सेवन, बच्चे को सभी टीके लगवाना इत्यादि को पूर्ण करने पर रू0 6000/– की नगद प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है।
-
- सहयोग राशि प्रथम 2 बच्चों के लिए दिया जाता है तथा इसके लिए लाभार्थी का खाता खोलकर आधार सं0 से लिंक करने के उपरान्त **PFMS Portal** पर अपलोड करते हुए **DBT** के माध्यम से राशि का हस्तांतरण करना है।
- सभी जिलों से लाभार्थियों की सूची तैयार कर आई.सी.डी.एस. के बेवसाईट पर ऑन–लाईन भेजी जा रही है तत्पश्चात इसे भारत सरकार के **PFMS** पोर्टल पर डाला जाएगा।

ICDS System Strengthening & Nutrition Improvement Project (ISSNIP):

पृष्ठभूमि : विश्व बैंक संपोषित ISSNIP योजना राज्य के 19 जिलों के 281 परियोजना अंर्तगत 49251 आंगनबाड़ी केन्द्रों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

- इस योजना का मुख्य उद्‌देश्य कुपोषण की दर में कमी लाना, 0–2 वर्ष के शिशुओं के शारिरिक एवं मानसिक विकास पर बल देना तथा आई.सी.डी.एस. पद्धति को मजबूती प्रदान करना।
- उक्त उद्‌देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्ननिखित कार्य किए जा रहे हैः–
- ;आई0 सी0 टी0 – आर0 टी0 एम0द्ध रोल आउट
- क्रमिक क्षमता विकास ;आई0 एल0 ए0द्ध
- समुदाय आधारित कार्यक्रम ; अन्नप्राशनद्ध
- अभिनव/नवाचार प्रयोग
- कार्यक्रम प्रबंधन

आई.सी.डी.एस. निदेशालय का संगठनात्मक ढांचा

निदेशक

संयुक्त निदेशक

उप निदेशक

सहायक निदेशक/प्रोक्योरमेंट पदाधिकारी/
प्रशिक्षण पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी/
अनुश्रवण पदाधिकारी/सांख्यिकी पदाधिकारी

लेखा पदाधिकारी

प्रशाखा पदाधिकारी/
लेखा पदाधिकारी

सहायक/सांख्यिकी सहायक

जिला स्तर पर

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी

प्रखंड/परियोजना/
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी

आई.सी.डी.एस. निदेशालय स्तर पर अपीलीय प्राधिकार, लोक सूचना पदाधिकारी तथा सहायक लोक सूचना पदाधिकारी का विवरणः—

1.	अपीलीय प्राधिकार	निदेशक, आई.सी.डी.एस.
2.	लोक सूचना पदाधिकारी	सहायक निदेशक, आई.सी.डी.एस.
3.	सहायक लोक सूचना पदाधिकारी	रिक्त

जिला स्तर पर अपीलीय प्राधिकार, लोक सूचना पदाधिकारी तथा सहायक लोक सूचना पदाधिकारी का विवरणः—

1. अपीलीय प्राधिकार — जिला पदाधिकारी

2- लोक सूचना पदाधिकारी — जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और इसके निर्धारण की पद्धति। आई.सी.डी.एस. निदेशालय में पदस्थापित पदाधिकारी/कर्मचारी

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड पे
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	श्री रामाशंकर दफतुआर, भा.प्र.से.	निदेशक	118500-214100	-
2	श्री आर0एन0 वार्डियार, बि.प्र.से.	सहायक निदेशक	15600-39100	6600
3	मो0 तारिक, बि.प्र.से.	सहायक निदेशक	15600-39100	6600
4	श्रीमती भारती प्रियम्बदा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी	सहायक निदेशक	9300-34800	5400
5	श्रीमती निरूपा कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी	विशेष पदाधिकारी	9300-34800	5400
6	श्रीमती संगीता कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी	लेखा पदाधिकारी	9300-34800	5400
7	श्रीमती श्वेता सहाय, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी	अनुश्रवण पदाधिकारी	9300-34800	5400
8	श्री मदन सिंह	सांख्यिकी सहायक	9300-34800	5400
9	श्री सुनील कुमार लाल दास	सांख्यिकी सहायक	9300-34800	5400
10	श्रीमती कुमारी अनिता चौधरी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी	सहायक निदेशक	9300-34800	4800
11	श्रीमती एम.एम. हाशमी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी	सांख्यिकी पदाधिकारी	9300-34800	4800
12	श्री कृष्णमोहन प्रसाद सिन्हा	सांख्यिकी सहायक	9300-34800	4800
13	श्री विनोद कुमार सिन्हा	सांख्यिकी सहायक	9300-34800	4800
14	श्री ललन कुमार झा	लेखापाल—सह—भंडारपाल	9300-34800	4600
15	श्री अनिल कुमार	लेखापाल—सह—भंडारपाल	9300-34800	4600
16	श्री विश्वजीत कुमार सुमन	सांख्यिकी सहायक	9300-34800	4200
17	श्री राजेश कुमार	सांख्यिकी सहायक	9300-34800	4200
18	श्री अक्षय कुमार राय	लिपिक—सह—टंकक	9300-34800	4200
19	श्री राजेश प्रसाद	लिपिक—सह—टंकक	9300-34800	4200
20	श्री राजदेव प्रसाद सिन्हा (निलंबित)	आशुलिपिक	9300-34800	4200
21	मो0 जमिलुर रहमान (समाज कल्याण निदेशालय मं प्रतिनियुक्त)	उच्च वर्गीय लिपिक	5200-20200	2800
22	श्री विपिन बिहारी राय	लिपिक—सह—टंकक	5200-20200	2400
23	श्रीमति रेखा शर्मा	दिनचर्या लिपिक	5200-20200	2400

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम (बाल संरक्षण आयोग में प्रतिनियुक्त)	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड पे
24	श्री खुर्शीद आलम	निम्नवर्गीय लिपिक	5200-20200	2400
25	मो0 कुमुद रानी (समाज कल्याण निदेशालय में प्रतिनियुक्त)	निम्नवर्गीय लिपिक	5200-20200	1900
26	श्री दिनेश कामति (माननीय मंत्री स.क. विभाग के कोषांग में प्रतिनियुक्त)	चालक	9300-34800	4200
27	श्री हरेन्द्र सिंह	चालक	5200-20200	2800
28	श्री रामकरण ठाकुर	चालक	5200-20200	2800
29	श्री बैद्यनाथ मिश्र	कार्यालय परिचारी	5200-20200	2400
30	श्री अरूण कुमार सिन्हा	कार्यालय परिचारी	5200-20200	2400
31	श्री केदार राम	कार्यालय परिचारी	5200-20200	2000
32	श्री राजकिशोर रजक	कार्यालय परिचारी	4440-7440	1650

सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय द्वारा निम्नांकित पेंशन योजनाएँ कार्यान्वित की जाती है :–

(क) केन्द्रीय पेंशन योजनाएँ :–

- इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
- इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना

(ख) राज्य पेंशन योजनाएँ :–

- लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
- बिहार निःशक्तता पेंशन योजना
- राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

1. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना :–

- इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के 60–79 वर्ष आयु वर्ग के वृद्ध व्यक्ति को रू0 400/–प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है, जिसमें रू0 200/– केन्द्र सरकार द्वारा एवं रू0 200/– राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है।
- 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्ध व्यक्ति को रू0 500/– प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है, जिसमें शत–प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है।
- इस योजना में आवेदन विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में प्रखण्ड के RTPS काउन्टर पर जमा किया जाता है।
- इस योजना के स्वीकृति पदाधिकारी अनुमण्डल पदाधिकारी हैं।

- इस योजनान्तर्गत डिजिटाईज पेंशनधारियों की संख्या 42.92 लाख है, जिसमें से 36.23 लाख पेंशनधारियों का खाता संख्या उपलब्ध है।

2 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना :—

- इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के 40—79 वर्ष आयु वर्ग की विधवा महिला को रू0 400/— प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है, जिसमें रू0 300/— केन्द्र सरकार द्वारा एवं रू0 100/— राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है।

- 80 वर्ष आयु के उपरान्त इस योजना के पेंशनधारी को इन्दिरा गाँधी वृद्धावस्था पेंशन योजना में स्थानांतरित किया जाता है।
- इस योजना में आवेदन विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में प्रखण्ड के त्ज्ै काउन्टर पर जमा किया जाता है।
- इस योजना के स्वीकृति पदाधिकारी अनुमण्डल पदाधिकारी हैं।
- इस योजनान्तर्गत डिजिटाईज पेंशनधारियों की संख्या 5.42 लाख है, जिसमें से 4.60 लाख पेंशनधारियों का खाता संख्या उपलब्ध है।

3. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना :—

- इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के 18—79 वर्ष आयु वर्ग के 80ः या उससे अधिक दिव्यांगता वाले निःशक्त व्यक्ति को रू0 400/— प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है, जिसमें रू0 300/— केन्द्र सरकार द्वारा एवं रू0 100/— राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है।
- 80 वर्ष आयु के उपरान्त इस योजना के पेंशनधारी को इन्दिरा गाँधी वृद्धावस्था पेंशन योजना में स्थानांतरित किया जाता है।
- इस योजना में आवेदन विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में प्रखण्ड के त्ज्ै काउन्टर पर जमा किया जाता है।
- इस योजना के स्वीकृति पदाधिकारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी हैं।
- इस योजनान्तर्गत डिजिटाईज पेंशनधारियों की संख्या 1.07 लाख है, जिसमें से 91,455 पेंशनधारियों का खाता संख्या उपलब्ध है।

4. लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना :—

- इस योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की वैसी विधवा जिनकी वार्षिक आय रू0 60,000/— से कम हो या जो बी0पी0एल0 परिवार की हों परन्तु इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत आच्छादित नहीं हों, को रू0 400/— प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है।
- इसमें शत—प्रतिशत राशि राज्य सरकार के द्वारा अंशदान किया जाता है।

- इस योजना में आवेदन विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में प्रखण्ड के त्ज्ैै काउन्टर पर जमा किया जाता है।
- इस योजना के स्वीकृति पदाधिकारी अनुमण्डल पदाधिकारी हैं।
- इस योजनान्तर्गत डिजिटाईज पेंशनधारियों की संख्या 5.40 लाख है, जिसमें से 4.56 लाख पेंशनधारियों का खाता संख्या उपलब्ध है।

5. बिहार निःशक्तता पेंशन योजना :—

- इस योजना के अन्तर्गत किसी भी आय एवं आयुवर्ग के 40ः या उससे अधिक दिव्यांगता वाले निःशक्त व्यक्ति को रू0 400 / — प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है।
- इसमें शत—प्रतिशत राशि राज्य सरकार के द्वारा अंशदान किया जाता है।
- इस योजना में आवेदन विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में प्रखण्ड के त्ज्ैै काउन्टर पर जमा किया जाता है।
- इस योजना के स्वीकृति पदाधिकारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी हैं।
- इस योजनान्तर्गत डिजिटाईज पेंशनधारियों की संख्या 6.34 लाख है, जिसमें से 5.46 लाख पेंशनधारियों का खाता संख्या उपलब्ध है।

6. राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना :—

- इस योजना के अन्तर्गत 60—64 वर्ष आयु वर्ग के वैसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रू0 5500 / — एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू0 5000 / — हो, को रू0 400 / — प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। विमुक्त बंधुआ मजदुर के मामले में आय एवं उम्र का बंधेज नहीं है।
- इसमें शत—प्रतिशत राशि राज्य सरकार के द्वारा अंशदान किया जाता है।
- इस योजना के स्वीकृति पदाधिकारी वृद्ध व्यक्तियों के मामले में अनुमण्डल पदाधिकारी तथा बंधुआ मजदुर के मामले में जिला पदाधिकारी हैं।
- इस योजनान्तर्गत डिजिटाईज पेंशनधारियों की संख्या 75,319 है, जिसमें से 60,983 पेंशनधारियों का खाता संख्या उपलब्ध है।

7. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना :—

- इसके अन्तर्गत 18—60 वर्ष आयु वर्ग के कमाउ सदस्य (ठतमंक ॅपददमत) की अकस्मात मृत्यु पर उसके आश्रित को एकमुश्त रू0 20,000 / — की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें शत—प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त होती है।
- वित्तीय वर्ष 2016—17 में पात्र लाभुकों के वितरण हेतु जिलों को रू0 42.00 करोड़ उपलब्ध कराया गया है।

8. मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना :—

- इस योजना के अन्तर्गत किसी भी उम्र के व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या 18—60 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति की अपराधिक घटना में मृत्यु होने की स्थिति में उसके आश्रित परिवार / निकटस्थ संबंधी को एकमुश्त रू0 20,000 / — की सहायता दी जाती है।

- वित्तीय वर्ष 2016—17 में रू0 6.50 करोड़ का बजट उपलब्ध है एवं पात्र लाभुकों के वितरण हेतु जिलों को रू0 1.50 करोड़ उपलब्ध कराया गया है।

9. कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना :—

- इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु पर उसके अन्त्येष्टि क्रिया हेतु परिवार को 3000/—रू0 की एकमुश्त सहायता दी जाती है।
- इस योजना में त्वरित भुगतान हेतु मुखिया/वार्ड कमिष्नर के पास 07 मामलों के लिए नगद राषि रू0 21,000/— हमेषा उपलब्ध रहता है तथा उनके खाते में 15 मामलों के भुगतान हेतु राषि उपलब्ध रखी जाती है।
- वित्तीय वर्ष 2016—17 में रू0 50.00 करोड़ का बजट उपलब्ध है एवं पात्र लाभुकों के वितरण हेतु जिलों को रू0 14.00 करोड़ उपलब्ध कराया गया है।

10. बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना :—

- इसके अन्तर्गत टपेपइसम क्मवितउपजपमे ळतंकम.प्प के कुष्ठ रोगी को भोजनादि हेतु रू0 1500/— प्रतिमाह प्रति कुष्ठ रोगी की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है।
- इस योजना का मुख्य उद्देष्य जीविकोपार्जन में असमर्थ कुष्ठ रोगियों को भिक्षावृत्ति से दूर रखना है।
- वित्तीय वर्ष 2016—17 में रू0 15.00 करोड़ का बजट उपलब्ध है एवं पात्र लाभुकों के वितरण हेतु जिलों को रू0 10.00 करोड़ उपलब्ध कराया गया है।

11. बिहार शताब्दी एड्स पीड़ीत कल्याण योजना :—

- एड्स कन्ट्रोल सोसाईटी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना की सहायता से संचालित इस योजना के तहत एड्स रोगियों को मुफ्त भोजन हेतु रू0 1500/— की आर्थिक सहायता दी जाती है।
- वित्तीय वर्ष 2016—17 में रू0 11.00 करोड़ का बजट उपलब्ध है एवं पात्र लाभुकों के वितरण हेतु सोसाईटी को रू0 1.00 करोड़ उपलब्ध कराया गया है।

12. वृद्धाश्रम निर्माण :—

- पटना, पूर्णियाँ तथा गया जिला में सरकार द्वारा भवन निर्माण विभाग के माध्यम से वृद्धाश्रम निर्माण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए वित्तीय वर्ष 2016—17 के लिए रू0 1.00 करोड़ का बजट स्वीकृत है। तीनों जिलों में जमीन उपलब्ध हो गया है एवं पटना तथा गया जिला में प्रषासनिक स्वीकृति भी प्राप्त है।

13. ओल्ड एज होम (सहारा) :—

- ''सहारा'' कार्यक्रम के तहत वृद्धजनों के हितार्थ स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से पटना, गया, पूर्णियाँ, मुजफ्फरपुर तथा भागलपुर में वृद्धाश्रम संचालित किया जा रहा है, जिसमें प्रति वृद्धाश्रम 50 वृद्धजनों को आवासन का लाभ दिया जायेगा। इस कार्यक्रम के लिए वित्तीय वर्ष 2016—17 के लिए रू0 1.00 करोड़ का बजट उपबंध है।

14. बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना (BISPS) :—

- इस योजनान्र्तत सामाजिक सुरक्षा से जुड़े योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण एवं क्षमतावर्द्धन, निःशक्त, वृद्ध तथा विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं देखभाल की स्थापना एवं विस्तारीकरण किया जाना है।
- इस योजना के कार्यान्वयन में विष्व बैंक की सहभागिता है। योजना का कार्यान्वयन हेतु स्टेट सोसाईटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोषल वेलफेयर ॅ;न्ैॅद्धए ''सक्षम'' द्वारा किया जा रहा है।
- इस योजनान्तर्गत प्रत्येक अनुमण्डल कार्यालय या अनुमण्डल स्थित प्रखण्ड कार्यालय में 01 बुनियाद केन्द्र की स्थापना प्रक्रियाधीन है। कुल 101 अनुमण्डलों में बुनियाद केन्द्र की स्थापना प्रस्तावित है।
- वित्तीय वर्ष 2016—17 में रू0 87.80 करोड़ का बजट उपलब्ध है।

15. मुख्यमंत्री दिव्यांग सषक्तिकरण योजना 'सम्बल' :—

- मुख्यमंत्री दिव्यांग सषक्तिकरण योजना (सम्बल) का प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2012—13 में किया गया।
- दिव्यांगजनों के हितार्थ पूर्व में संचालित योजनाएँ जो अलग—अलग शीर्ष के तहत स्वीकृत थे, उन्हें जिनको सम्बल योजना में एक शीर्ष के तहत एकीकृत किया गया तथा नवघटकों को इसमें षामिल किया गया। वित्तीय वर्ष 2016—17 के लिए रू0 9.50 करोड़ का बजट उपलब्ध है।

<u>घटकवार योजना की विवरणी निम्न प्रकार है :—</u>

(a) कृत्रिम अंग एवं उपकरण वितरण
(b) दिव्यांग छात्रवृत्ति
(c) दिव्यांगजनों का सर्वेक्षण एवं प्रमाणीकरण
(d)मुख्यमंत्री निःषक्तजन षिक्षा एवं स्वरोजगार ऋण योजना

(e) विषेष विद्यालयों का उत्क्रमण
(f) मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए दिवाकालीन विद्यालय 'चमन' का संचालन
(g) दृष्टिहीन बालिकाओं के लिए विषेष आवासीय विद्यालय 'दृष्टि' का संचालन
(h) मूक बधिर बालिकाओं के लिए विषेष आवासीय विद्यालय 'कोषिष' का संचालन
(i) मानसिक दिव्यांग महिलाओं के लिए आश्रय गृह 'आषियाना का संचालन
(j) मानसिक दिव्यांग पुरूषों के लिए आश्रय गृह 'साकेत का संचालन

(a) कृत्रिम अंग एवं उपकरण :—

- इस योजना के तहत जरूरतमंद निःषक्तजनों को तिपहितया साईकिल, ट्राई साईकिल, श्रवण यंत्र, वैषाखी, कैलीपर आदि उपकरण एवं कृत्रिम अंग प्रदान किया जाता है।

- **पात्रता**– (क) कोई भी स्त्री/पुरूष (ख) उम्र– चलन्त निःशक्त के लिए 14 वर्ष से अधिक (ग) दिव्यांगता– न्यूनतम 40 प्रतिशत (घ) आय– रू0 1,00,000/– वार्षिक तक
- **आवेदन की प्रक्रिया**– विहित प्रपत्र में (तिपहिया साईकिल/श्रवण/वैशाखी/अंधों के लिए श्वेत छड़ी) दिव्यांगता प्रमाण–पत्र की छायाप्रति/आय प्रमाण–पत्र/उम्र प्रमाण–पत्र/निवास प्रमाण–पत्र /जाति प्रमाण–पत्र की छायाप्रति के साथ आवेदन–पत्र प्रखण्ड कार्यालय/जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में लिया जाता है।

(b) **दिव्यांग छात्रवृत्ति :–**

- सरकारी विद्यालय/महाविद्यालय/विष्वविद्यालय तकनीकी संस्थान में अध्ययनरत वर्ग 1 से स्नातकोत्तर तक के निःषक्त छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना।
- **पात्रता**–सरकारीविधालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/तकनीकी संस्थान में अध्ययनरत वर्ग–। से स्नातकोत्तर तक के छात्र/छात्राएँ।
- **अहर्त्ता**–न्यूनतम दिव्यांगता 40 प्रतिशत एवं आय रू0 2,00,000/– वार्षिक।
- आवेदन की प्रक्रिया– मैट्रिक तक का आवेदन विद्यालय के माध्यम से प्रखण्ड कार्यालय में तथा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर के आवेदन जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय में लिया जाता है।

(c) **दिवव्यांगजनों का सर्वेक्षण एवं प्रमाणीकरण :–**

- निःषक्तजनों का सर्वेक्षण एवं दिव्यांगता प्रमाणीकरण पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर विषेष षिविर आयोजन कर समय–समय पर किया जाता है उक्त षिविर में चिकित्सक दल द्वारा जॉचोंपरान्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। वैसे सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनुमण्डलीय स्वास्थ्य केन्द्रों में नियमित रूप से दिव्यांगता जाँच एवं प्रमाणीकरण का कार्य किया जा रहा है।

(d) **मुख्यमंत्री निःषक्तजन षिक्षा एवं स्वरोजगार ऋण योजना :–**

- छात्र/छात्राओं को षिक्षा हेतु ऋण उपलबध कराना 18 से 30 वर्ष की उम्र के छात्र/छात्राओं जो मान्यता प्राप्त षैक्षणिक संस्थान से उच्च षिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनको 4 प्रतिषत वार्षिक ब्याज की दर से अधिकतम 5.00 लाख ऋण दिये जाने का प्रावधान है।
- निःषक्तजन जिनकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच में हैं उन्हें स्वरोजगार हेतु 5 प्रतिषत वार्षिक ब्याज की दर से अधिकतम 1.5 लाख ऋण दिये जाने का प्रावधान है।
- निःषक्तजन जिनके परिवार की वार्षिक आय (शहरी क्षेत्र में 2 लाख अधिकतम एवं ग्रामीण क्षेत्र में 1.60 लाख) पात्रता के रूप में है।
- स्वरोजगार ऋण हेतु पात्रता– कोई भी स्त्री/पुरूष, संबंधित जिला के निवासी हों जहाँ से ऋण लिया जाना है।
- उम्र– 18 वर्ष से 60 वर्ष तक।
- अहर्त्ता– न्यूनतम दिव्यांगता 40 प्रतिशत।
- आय–शहरी क्षेत्र में रू0 2,00,000/– अधिकतम एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू0 1,60,000/– अधिकतम।

- ऋण की राशि– ऋण की अधिकतम राशि रू0 1,50,000/– होगा। भुगतान चेक के माध्यम से किया जाता है।
- आवेदन की प्रक्रिया– आवेदन जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में विहित प्रपत्र में शर्त्तों के साथ लिया जायगा।
- शिक्षा ऋण हेतु पात्रता– राज्य के वैसे दिव्यांग विद्यार्थी जो भारत सरकार, राज्य सरकार, यू0जी0सी0, ए0आई0सी0,टी0ई0, आई0सी0एम0आर0 द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित डिग्री, डिप्लोमा या अन्य पाठ्यक्रमों या समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य तकनीकी/व्यवसायिक कोर्स की पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, को यह ऋण कोई भी निःशक्तजन छात्र/छात्राओं को दिया जाता है।
- उम्र– 18 वर्ष से 30 वर्ष तक।
- अहर्त्ता– न्यूनतम दिव्यांगता 40 प्रतिशत।
- ऋण की राशि– ऋण की अधिकतम राशि रू0 5,00,000/– होगी, जिसका वार्षिक साधारण ब्याज दर 4 प्रतिशत होगा।
- आवेदन की प्रक्रिया– आवेदन जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में विहित प्रपत्र में शर्त्तों के साथ लिया जायगा।

(e) विषेष विद्यालयों का उत्क्रमण :–

- विभाग द्वारा पटना, भागलपुर, मुंगेर एवं दरभंगा में संचालित आठ विषेष विद्यालय संचालित है, जिसमें 05 मूक बधिर विद्यालय एवं 03 नेत्रहीन बच्चों के लिए विद्यालय संचालित है।

राजकीय मूक–बधिर विद्यालय :–

क्र0	विद्यालय का नाम एवं पता	विद्यालय एवं छात्रवास–सरकारी भवन अथवा निजी भवन	छात्रों का स्वीकृत बल
1	श्री कामेश्वरी प्रिया पूअर होम, राजकीय मूक बधिर मध्य विद्यालय, दरभंगा।	विद्यालय एवं छात्रावास सरकारी भवन में अवस्थित है।	50
2	राजकीय मूक बधिर (बालक) मध्य विद्यालय, महेन्द्रू पटना।	विद्यालय सरकारी भवन में अवस्थित है परन्तु छात्रावास किराये के मकान में चल रहा है।	50
3	राजकीय मूक बधिर (बालिका) मध्य विद्यालय, गायघाट, पटना।	विद्यालय एवं छात्रावास सरकारी भवन में अवस्थित है।	50
4	राजकीय मूक बधिर मध्य विद्यालय, बड़ी खनजरपुर, भागलपुर।	विद्यालय एवं छात्रावास सरकारी भवन में अवस्थित है।	30
5	राजकीय मूक बधिर मध्य विद्यालय, मुंगेर।	विद्यालय एवं छात्रावास सरकारी भवन में अवस्थित है।	25

राजकीय नेत्रहीन विद्यालय :—

क्र0	विद्यालय का नाम एवं पता	विद्यालय एवं छात्रवास—सरकारी भवन अथवा निजी भवन	छात्रों का स्वीकृत बल
1	राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय, कदमकुआँ पटना।	विद्यालय एवं छात्रावास सरकारी भवन में अवस्थित है।	68
2	कामेश्वरी प्रिया पूअर होम, राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय, दरभंगा।	विद्यालय एवं छात्रावास सरकारी भवन में अवस्थित है।	58
3	राजकीय नेत्रहीन मध्य विद्यालय, भीखनपुर, भागलपुर।	विद्यालय एवं छात्रावास सरकारी भवन में अवस्थित है।	25

(f) मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए दिवाकालीन विद्यालय 'चमन' का संचालन :— दरभंगा, छपरा, भागलपुर, सहरसा एवं पूर्णियॉ जिला में गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से संचालन हेतु स्वीकृति प्राप्त है।

(g) दृष्टिहीन बालिकाओं के लिए विषेष आवासीय विद्यालय 'दृष्टि' का संचालन :— 18 वर्ष तक की आयु के नेत्रहीन बालिकाओं के लिए विषेष आवासीय विद्यालय का संचालन दरभांग, बॉका, पष्चिमी चम्पारण, सुपौल, गया, किषनगंज एवं पटना जिला में गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से संचालन का प्रस्ताव है।

(h) मूक बधिर बालिकाओं के लिए विषेष आवासीय विद्यालय 'कोषिष' का संचालन :— 18 वर्ष तक की आयु के मूक बधिर बालिकाओं के लिए विषेष आवासीय विद्यालय का संचालन पूर्वी चम्पारण एवं भागलपुर जिला में गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से करने हेतु करने का प्रस्ताव है।

(i) मानसिक दिव्यांग महिलाओं के लिए आश्रय गृह 'आषियाना का संचालन :— 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मानसिक दिव्यांग महिलाओं के पुनर्वास हेतु आश्रय गृह का संचालन, पूर्णियॉ, नवादा एवं दरभंगा जिला में गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से करने हेतु स्वीकृति प्राप्त है।

(j) मानसिक दिव्यांग पुरूषों के लिए आश्रय गृह 'साकेत का संचालन :— 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मानसिक दिव्यांग पुरूषों के पुनर्वास हेतु आश्रय गृह का संचालन, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, एवं सहरसा जिला में गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से संचालन करने का प्रस्ताव है।

16. मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना :—

वित्तीय वर्ष 2016—17 में इस योजना का प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के तहत निःशक्त पुरूष/महिला के विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतम परिपक्वता राशि देने वाले राष्ट्रीकृत बैंको सावधि जमा के माध्यम से रू0 50,000/— अनुदान के रूप में देने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2016—17 के लिए रू0 50.00 लाख का योजना उद्व्यय/बजट उपलब्ध है।

17. वस्त्र वितरण कार्यक्रम (गैर योजना मद) :— वस्त्र वितरण कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत राज्य के भूमिहीन, अपंग, निर्धन तथा भिक्षुकों के बीच धोती, साड़ी, चादर (सूती) एवं ऊनी कम्बल का मुफ्त वितरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यह गैर योजना कार्यक्रम है। वित्तीय वर्ष 2017—18 में रू0 2.00 करोड़ का बजट उपबंध है।

समाज कल्याण निदेषालय द्वारा निम्नांकित पेंशन योजनाएँ कार्यान्वित की जाती है :—

इस निदेशालय के अन्तर्गत मुख्य से रूप से महिलाओं, बच्चों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण हेतु विभिन्न योजनओं का संचालन एवं अन्य विभागों के द्वारा इन लक्ष्य समुहों के लिए संचालित कार्यक्रमों के समन्वयन का कार्य भी नोडल निदेशालय के रूप में किया जाता है। इसके साथ ही किशोर न्याय (बालकों की देख—रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 में निहित प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जाता है।

समाज कल्याण निदेशालय द्वारा संचालित प्रमुख योजनायें एवं कार्यक्रम निम्न प्रकार है :—

I- किशोर न्याय प्रक्षेत्र

1. किशोर न्याय (बालकों की देख—रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत राज्य में सरकार द्वारा संचालित पर्यवेक्षण गृह—11, विशेष गृह—1, बाल गृह—3 एवं एक उतर रक्षा गृह, गायघाट पटना संचालित है। गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से सरकार द्वारा अनुदानित बाल गृह—27, विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान—21, खुला आश्रय गृह—9 संचालित है।

- इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख—रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 प्रक्रियाधीन है।
- राज्य के सभी 38 जिलों में किशोर न्याय परिषद् एवं बाल कल्याण समिति कार्यरत है।
- राज्य स्तर पर एक राज्य बाल संरक्षण समिति कार्यरत है। शेष 38 जिलों में जिला बाल संरक्षण समिति गठित है।
- राज्य के सभी जिलों में पर्यवेक्षण गृह का निमार्ण कराया जाना है। वर्तमान में 15 जिलों में पर्यवेक्षण गृह का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। कुछ जिलों में गृहों का निर्माण की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। जिन जिलों में अभी तक गृह के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है। वहाँ की जिला पदाधिकारी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।
- वर्तमान में संचालित गृहों के अतिरिक्त विभिन्न जिलों में कुछ और गृहों के संचालन हेतु समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत अतिरिक्त पदों का सृजन वित्तीय वर्ष 2012 में किया गया है।
- गैर योजना मद में राज्य सरकार द्वारा संचालित पर्यवेक्षण गृह/बाल गृह (बालक एवं बालिका)/विशेष गृह के संधारणार्थ वित्तीय वर्ष 2014—15 में 595.27 लाख, वित्तीय वर्ष 2015—16 में 514.94 लाख, वित्तीय वर्ष 2016—17 में 562.28 लाख बजट उपबंध था तथा वर्ष 2017—18 में 409.30 लाख का बजट उपबंध है। इसके अतिरिक्त समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत गृहों की संचालन हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश के अनुरूप 60:40 के अनुपात में राशि उपलब्ध होती है। जिसका विवरण निम्नवत् है।

	2017—18		2016—17		2015—16	
	उद्व्यय	व्यय	उद्व्यय	व्यय	उद्व्यय	व्यय
केन्द्राशं की राशि	2800.00	—	2000.00	2000.00	1000.00	500.00

राज्यांश की राशि	4200.00	—	3500.00	551.62	4124	2687.89

2. दत्तक ग्रहण कार्यक्रमः— राज्य में दत्तक ग्रहण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण का गठन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्देशीय दत्तकग्रहण का विनियमन एवं दत्तकग्रहण सलाहकार समिति को प्रशासकीय सहायता उपलब्ध कराना है। यह केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण एवं राज्य सरकार के बीच समन्वय स्थापित करती है। वर्तमान में राज्य के विभिन्न जिलों में इक्कीस (21) दत्तकग्रहण संस्थान संचालित है।
3. बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006ः— 21 वर्ष से कम उम्र के युवक तथा 18 वर्ष से कम उम्र की किशोरी का विवाह बाल विवाह माना जाता है जिसे रोकने तथा ऐसे विवाह के पक्षकारों को दंड देने का प्रावधान इस अधिनियम द्वारा किया गया है।
4. बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोगः— राज्य में बालकों के अधिकारों के संरक्षण तथा इनके हनन की स्थिति में उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु संबंधित विभाग/संस्था द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा के लिए बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग में एक अध्यक्ष एवं छः सदस्य कार्यरत है।

III. महिला प्रक्षेत्र

- समाज कल्याण विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। प्राथमिकता के आधार पर वर्तमान में समाज कल्याण निदेशालय द्वारा विभिन्न अधिनियमों यथा अनैतिक पणन निवारण अधिनियम, 1956, दहेज प्रथा निषेध अधिनियम, 1961 बिहार डायन प्रथा निषेध अधिनियम, 1999, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन किया जाता है।
- महिला एवं बच्चों के व्यापार की रोकथाम एवं उन्मूलन हेतु राज्य स्तरीय कार्य योजना ''अस्तित्व'' तैयार किया गया है। इसके प्रभावशाली कार्यान्वयन हेतु मानव व्यापार निरोधक कोषांग का गठित है।
- महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन महिला विकास निगम द्वारा किया जाता है।

स्टेट सोसाईटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर :—

- **स्टेट सोसाईटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के धारा 21 के अंतर्गत दिनांक 24.02.2012 को निबंधित हुआ एवं इसकी निबंधन संख्या — 1320/2008.09 है।**
- **सोसाईटी का उद्देश्य अतिनिर्धन, निराश्रितों, भिक्षुकों, वृद्वजनों, निःशक्तजनों, विधवाओं एवं बच्चों का सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण करना है।**
- **सोसाईटी द्वारा राष्टीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राज्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि का हस्तांतरण, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना एवं बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना का कार्यन्वयन किया जा रहा है।**

1. **बिहार एकीकृत सामाजिक सुदृढ़ीकरण परियोजना :** परियोजना का उद्वेश्य सामाजिक सुरक्षा से जुड़े योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना है। परियोजना के दो मूल घटक हैः— (प) सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों एवं सेवाओं के संवितरण के सुदृढ़ीकरण हेतु विभागीय क्षमतावर्धन। (पप) निःशक्तजनों, वृद्ध एवं विधवाओं के लिये सामाजिक सुरक्षा एवं देखभाल सम्बन्धित सेवाओं की स्थापना एवं विस्तारीकरण।

- **सम्पूर्ण राज्य में सामाजिक देखभाल केन्द्रों की स्थापना करना :—** 101 अनुमंडलों में से 76 अनुमंडलों में सामाजिक देखभाल केन्द्रों (बुनियादी केन्द्र) के भवन का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में निःशक्तजन, वृद्ध एवं विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं देख—भाल संबंधित सेवाओं को 26 जीर्णोद्धार भवन/किराये के भवन से बुनियाद केन्द्र का संचालन किया जा रहा है।

- **समस्त 38 जिलों में मोबाईल ऑउटरीच और थेरेपी वैन का संचलान :—** परियोजना कें अंतर्गत निःशक्तजन, वृद्धजनों एवं विधवाओं के देखभाल और सहायक सेवाओं को मोबाईल ऑउटरीच और थेरेपी वैन के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में सीधी सेवाएँ उपलब्ध करायी जाएँगी। वर्त्तमान में 5 मोबाईल आउटरीच और थेरेपी वैन की आपूर्ति की गई है।

- **संचार एवं लोक शिक्षा अभियान विकसित करनाः—** परियोजन अंतर्गत लोक शिक्षा अभियान रणनीति, पोस्टर, परचो और अन्य दृश्य श्रवण सामाग्रीयों विकास किया गया है।

- **कार्यक्रम अंतरण व्यवस्था को कारगर बनानाः—** परियोजना अंतर्गत लाभान्वयन की प्रक्रिया एवं लाभ का समयबद्ध वितरण हेतु प्रभावी ई—प्रबंधन अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेशन एम0आई0एस0 (एस0एस0पी0एम0आई0एस0) का विकास किया गया है। एस0एस0पी0एम0आई0एस0 का पायलट शिवहर एवं जहानाबाद जिलों में किया गया है।

- **प्रशिक्षण प्रणाली एवं कर्मचारियों की क्षमता का सुदृढ़ीकरणः—** परियोजना अंतर्गत सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और लाभार्थी की संतुष्टि में वृद्धि करने हेतु राज्य, जिला एवं स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण आवश्कताओं का आंकलन किया गया है।

- **निरीक्षण एवं जवाबदेही की प्रक्रिया की स्थापनाः—** परियोजना अंतर्गत मूल्यांकन एवं सामाजिक अंकेक्षण के लिए मूल्यांकन कार्यनीति तथा प्रबंधकीय सूचना प्रणाली विकसित करने हेतु निविदा का आमंत्रण किया गया है।

- **परियोजना को संचालित एवं पर्यवेक्षण करने हेतु हितग्राहियों एवं परियाजना लाभार्थियों की भागीदारी एवं प्रोत्साहन को बढ़ानाः—** परियोजना अंतर्गत समुदाय आधारित संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहो एवं गैर सरकारी संस्था के साथ समन्वयन स्थापित किया जाएगा।

- **नवाचारी प्रयोगों को सहायता प्रदान करनाः—** नवाचारी सेवा प्रदाता प्रक्रिया के तहत नवाचारी प्रयोगों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों एवं सेवाओं को स्थानीय स्तर तक विस्तारति किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2017—18 में 114.29 (एक सौ चौदह करोड़ उन्नतीस लाख) रूपये बजट उपबंध है।

3. **मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना :—** मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना का मुख्य उद्देश्य भिक्षुकों एवं निराश्रित जनों के अधिकार व सम्मान की रक्षा करने व उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करना हैं।

- **भिक्षुकों का सर्वेक्षण एवं पहचान पत्र —** राज्य के **12** जिलों यथा पटना, गया, नालन्दा, रोहतास, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पुर्णियां, भागलपुर, अररिया, कटिहार, वैशाली एवं सारण में **9879** भिक्षुकों का सर्वेक्षण कर **4219** भिक्षुकों का पहचान पत्र निर्गत किया गया है।
- **भिक्षुकों के लिये पुनर्वास/अल्पावास गृहः** राज्य के **7** जिलों यथा पटना, गया, नालन्दा, रोहतास, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं पूर्णियां में स्थापित पुनर्वास गृहों में पंजीकृत **3229**

- भिक्षुकों में **1982** भिक्षुकों को पुनर्वासित किया गया। वर्तमान में पुनर्वास गृहों में **620** लाभार्थीगण आवासित है।
- **बसेरा :** पायलट आधार पर पटना जिले में **50** अतिनिर्घन पुरूषों एवं 20 अतिनिर्धन परिवारों को अवासित करने की क्षमता वाले केन्द्रों की स्थापना की गई है। वर्तमान में केन्द्रों के माध्यम से **68** अतिनिर्धन लाभान्वित हो रहे है।
- **बाल भिक्षुकों के पुनर्वास हेतु शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना** : बाल भिक्षुकों के पुनर्वास हेतु सभी जिलों से अलग से शिक्षण एवं प्रशिक्षण की स्थापना न करके आई.सी.पी.एस. के तहत संचालित बाल गृहों से लक्षित बच्चों को जुड़ाव स्थापित कर पुनर्वासित किया जाता है।
- **आवासीय व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र/ कौशल कुटीर की स्थापना :** पटना जिला में आवासीय व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र "कौशल कुटीर" के माध्यम से **357** भिक्षुकों को पंजीकृत करते हुए **240** भिक्षुकों को प्रशिक्षण के उपरान्त विभिन्न कार्यो यथा होटल, सुरक्षा प्रहरी, निर्माण कार्य आदि में नियोजित किया गया। वर्तमान में 45 भिक्षुकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- **गरम कपड़े एवं कम्बल वितरण वर्तमान** : वित्तीय वर्ष **2016—17** में **2510** कम्बल एवं **2510** गरम कपड़े का भिक्षुकों में वितरण किया गया है।
- **स्वयं सहायता समूह का गठन (सी.बी.एस.जी.):** अतिनिर्धन जनों में बचत कि आदत का विकास करने एवं उनका सामाजिक—आर्थिक सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से **15** समुदाय आधारित बचत समूहों का

- गठन किया गया है। वर्तमान में 15 सी.बी.एस.जी. का गठन कर **220** अतिनिर्धनों के साथ 1ए36ए000/— (एक लाख छत्तीस हजार) रूपये कि बचत जमा की गयी है।
- **स्वास्थ्य जाँच एवं प्रमाणीकरण शिविर का आयोजन :** सर्वेक्षित आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर जिला स्तर पर वृहत स्वास्थ्य जाँच शिविरों कर कुल 2453 लाभुकों की स्वस्थ जाँच कराते हुए 228 दिव्यांग अतिनिर्धन का विकलांगता प्रमाणीकरण किया गया।

- **प्रोड्यूसर ग्रुप :** प्रोड्यूसर ग्रुप सूक्ष्म, लघु और उधम मंत्रालय के द्वारा पंजीकृत है। योजना के तहत 44 लाभूकों को प्रशिक्षित कर "मुक्ता सक्षम उत्पादक समूह" का गठन किया गया है। इनके द्वारा तैयार सामग्रियों को बाजार में बिक्री कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे है।
- **एम0आई0एस0 रू** एम0आई0एस0 के माध्यम से भिक्षुकों की ट्रैकिंग एवं पहचान पत्र बनाया जा रहा है। योजना अन्तर्गत सर्वेक्षित भिक्षुकों की संख्या एवं उसका विस्तृत विवरण एस.एस.यू.पी.एस.डब्लू. के बेवसाईट पर अपलोड किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2017.18 **में** 20.00 **(बीस लाख) रूपये बजट उपबंध है।**

4. राष्टीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एवं राज्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं : राष्टीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एवं राज्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि का हस्तांतरण सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के विस्तृत दिशा—निदेश के अनुसार किया जा रहा है।

- पेंशन मद में रु0 2289.03 करोड़ हस्तांतरित।
- कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना रु0 50.00 करोड़ हस्तांतरित।
- मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना रु0 6.5 करोड़ हस्तांतरित।
- बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना रु0 15.00 करोड़ हस्तांतरित।
- बिहार एड्स पीड़ित योजना रु0 11.00 करोड़ हस्तांतरित।
- मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना 'सम्बल' रू0 3.99 करोड़ हस्तांतरित।

वित्तीय वर्ष 2016.17 **में** 2375.52 **(दो हजार तीन सौ पचहत्तर करोड़ बावन लाख) रूपये हस्तांतरित।**

<u>समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत निगम/बोर्ड</u>

<u>1. महिला विकास निगम :—</u>

1. राज्य मंत्रिमंडल की दिनांक 21 जून, 1990, की हुई बैठक में राज्य सरकार ने महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य स्तर पर एक महिला विकास निगम की स्थापना करने का निर्णय लिया ।

2. यह निगम सोसायटीट रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 की धारा 21, के अन्तर्गत दिनांक 28—11—1991 को निबंधित हुआ एवं इसकी निबंधनसंख्या 470 /91—92 है ।

3. निगम द्वारा महिला कल्याण हेतु स्वयं सहायता समूहों के निर्माण से जुड़े जिन योजनाओं का कार्यान्वयन संप्रति किया जा रहा है।

स्वयं सहायता समूह के मुख्यतः चार अवयव हैं —

1. महिला विकास केलिये संस्थागत क्षमता का निर्माण :
   - आत्म निर्भर महिला समूहों की स्थापना
   - नये एवं वर्तमान स्व—सहयोगीसमूहों की क्षमता का विकास
   - परिपक्व स्व—सहयोगी समूहों के सहयोग से नये मंडलों का विकास
   - स्व—सहयोगी समूहों के सदस्यों एवं सहयोगियों का विसतार
   - महिला विकास हेतु सहयोगी संस्थाओं को मजबूत करना
2. **महिला द्वारा संचालित आर्थिक कार्यों में सहयोग हेतु तंत्र का विकास**
   - आय वृद्धि क्रियाकलापों के लिये निवेश प्रोत्साहित करना
   - कृषि एवं गैर—कृषि क्रिया—कलापों के लिये स्व—सहयोगी मंडलों के सदस्यों को व्यापार प्रबन्धन एवं तकनीकी सहायता मुहैया करवाना
3. **सामुदायिक सम्पति निर्माण हेतु उपलब्ध सामाजिक कार्यक्रम सेसम्बद्धता तथा आवश्यक निधि हेतु समुदाय से भागीदारी प्राप्त करना ।**
   - महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार एवं उत्पादक उद्देश्यों के लिये समुदाय की भागीदारी की व्यवस्था करना ।
   - सामाजिक सेवाएं जैसे— स्वास्थ्य एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी करना ।
   - सामुदायिक सम्पति जैसे— पेयजल, शौचालय एव ंबहुद्देशीय मिलन स्थल के निर्माण हेतु सरकारी या सामुदायिक सहयोग ।
4. **कुशल परियोजना प्रबंधन के तरीके प्रदान करना**
   - केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय एजेनसीओं को परियोगजना के कार्यान्वयनसे अवगत कराकर मूल्यांकन प्रणाली को मजबूत बनाना ।

संप्रति जिन परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है वे निम्नवतः है :—

(क) **मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना :—** राज्य सरकार के योजना मद से संचालित इस परियोजना की अवधि 2005—08 है। इस परियोजना के अंतर्गत राज्य के 10 जिलों के 20 प्रखंडों में कुल 1000 स्वयं सहायता समूहों का निर्माण किया जाना है। इस परियोजना के लिए कुल 5.0 करोड़ की राशि निर्धारित है, जिसके विरूद्ध निगम को 1.61 करोड़ रूपये प्राप्त हुए हैं तथा कुल व्यय 56.93 लाख है। इस परियोजना के अंतर्गत अभी तक 812 समूहों का निर्माण हुआ है, जिसके सदस्यों की कुल संख्या 10799 है। अब तक कुल 733 समूहों के बैंक खाते खोले जा चुके है। इस परियोजना को एक सतत् परियोजना का रूप दिया जा रहा है, जिसके तहत समूह गठन की संख्या को असीमित रखा जा सके एवं ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की परियोजना का लाभ मिल सके।

(ख) **स्वयंसिद्धा परियोजनाः—** पूर्व में इंदिरा महिला योजना के नाम से संचालित यह योजना शत—प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना है। राज्य में गरीब एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के 6300 स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं उसके सुदृढ़ीकरण के निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध राज्य के 19 जिलों के 63 प्रखंडों में इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत 6300 के निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कुल 6332 समूहों का गठन किया जा चुका है तथा कुल 568

(ग) **अनुसूचित जाति विशेष अंगीभूत योजना :—** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शत—प्रतिशत अनुदान के रूप में विशेष अंगीभूत योजना के योगात्मक के रूप मे अनसूचित जातियों के हितार्थ विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त इस योजना के कार्यान्वयन का दायित्व भी निगम को प्राप्त हुआ है ।

यह योजना राज्य के 21 जिलों में संचालित की जा रही है और अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं को कुल 1885 समूहों के गठन का लक्ष्य निर्धारित है। अब तक इस परियोजना के

अंतर्गत 1885 समूहों का गठन करते हुए 1635 समूहों का बैंक खाता खोला जा चुका है। इनमें से ज्यादातर समूह आर्थिक एवं आय–वर्धक गतिविधियों हेतु तैयार है, परन्तु संचालन संबंधी स्पष्ट दिशा–निर्देश के अभाव में लाभार्थियों को बैंक ऋण तथा अनुदान देना संभव नहीं हो पा रहा है। परियोजना के अंतर्गत सामुदायिक आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु कर्णांकित राशि सभी जिलों को उपलब्ध करा दी गयी है।

(घ) <u>ईफाडः–</u> भारत सरकार एवं ईफाड द्वारा संपोषित जीविकोपार्जन से संबंधित एक महत्वकांक्षी परियोजना ''प्रियदर्शिनी'' का राज्य के दो जिलों, मधुबनी एवं सीतामढ़ी के चार प्रखंडों में संचालन की तैयारी अंतिम चरण में है। इस परियोजना के अंतर्गत महिलाओं एवं किशोरियों के 2700 स्वयं सहायता समूह के निर्माण का लक्ष्य है जिससे 45000 परिवारों के लाभान्वित होने की संभावना है।

(च) हेल्पलाईन :– हिंसा एवं प्रताड़ना से पीड़ित महिलाओं को सहायता एवं सहयोग प्रदान करने के लिए पटना में हेल्पलाईन वर्ष 1999 से कार्यरत है। उसका संचालन निगम के तत्वाधान में किया जा रहा था। राज्य सरकार के निर्णयानुसार पटना हेल्पलाईन के संचालन का दायित्व जिलाधिकारी, पटना को दिया गया है। जुलाई, 2006 में पटना हेल्पलाईन का नियंत्रण जिलाधिकारी, पटना के अधीन हस्ताक्षरित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2005–06 में राज्य के चार नये जिलों में हेल्पलाईन की स्थापना का निर्णय लिया जिसके अंतर्गत मुजफ्फरपुर, गया, बेतिया एवं भागलपुर में जिलाधिकारी के नियंत्रण में हेल्पलाईन ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। वर्ष 2005–06 के लिए प्रति हेल्पलाईन 4 लाख रूपये की दर से कुल 16 लाख रूपये संबंधित जिलों को आवंटित कर दिया गया है।

वर्ष 2006–07 में भी राज्य सरकार ने 6 अतिरिक्त जिलो यथा पूर्णियॉ, किशनगंज, कटिहार, अररिया, नालन्दा एवं जमुई में हेल्पाईन की स्थापना का निर्णय लिया है एवं इसके लिए 24 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की है। इस राज्य में अब तक कुल 11 जिलों में हेल्पलाईन योजना प्रारंभ की गयी है।

निगम द्वारा संचालित अन्य योजनायें/कार्यक्रम :–

निगम द्वारा संचालित कतिपय अन्य कार्यक्रमों का विवरण निम्नवत है :–

क) शहरी झोपड़–पट्टी विकास कार्यक्रम :–

पटना जिला के शहरी क्षेत्र के अंतर्गत गंदी बस्तियों/झोपड़पट्टियों में रहने वाली दलित महिलाओं में जागरूकता उत्पन्न कर उन्हें आत्म–निर्भर बनाने की परियोजना निगम ने प्रारंभ की हैं। संप्रति एक वर्ष की कालावधि की इस परियोजना में कुल 12.00 लाख का व्यय प्रस्तावित है। पूर्व में प्राप्त अनुसूचित जाति हेतु एक विशेष अंगीभूत सहायता एवं राज्य सरकार द्वारा निगम को आवंटित निधि से इस परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके तहत् पटना स्थित विभिन्न झुग्गी झोपड़ियों में कुल 100 स्वयं सहायता समूहों का गठन निर्धारित था। अभी तक कुल 107 समूहों का गठन एवं 52 समूहों का बैंक खाता खोला जा चुका है।

इस परियोजना का कार्यान्वयन रोटरी पटना, शेखपुरा के तत्वाधान में स्वास्थ्य एवं जन कल्याण समिति, पटना एवं Bihar Domestic Workers Welfare Trust, Patna द्वारा किया जा रहा है।

इस परियोजना के निम्नांकित उद्देश्य है :–

1. शहरी क्षेत्र की झोपड़पट्टी/गंदी बस्तियों में रहने वाली 12–15 गरीब महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का निर्माण कर उन महिलाओं में आत्मनिर्भरता एवं आत्म–विश्वास उत्पन्न करना।
2. समूह की महिलाओं को प्रशिक्षित कर आय–जनित कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर उन्हें आय–अर्जन के योग्य बनाना।
3. शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं स्वच्छ शौच व्यवस्था के प्रति उनमें जागरूकता उत्पन्न कर उन्हें स्वस्थ्य जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करना तथा उनके माध्यम से संपूर्ण बस्ती में इसका प्रचार–प्रसार करना।

4. शिक्षा एवं स्वास्थ्य की समस्याओं के निराकरण हेतु निर्धारित बस्ती में एक शिक्षण केन्द्र तथा एक स्वास्थ्य केन्द्र की सीापना।

(ख) निगम द्वारा पूर्व में कार्यान्वित की गई विश्व—बैंक सम्पोषित स्वशक्ति परियोजना एवं अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना (स्वाबलम्बन) के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों का प्रखंड स्तर पर फेडरेशन निर्माण कर उनके पोषण का कार्य किया जा रहा है

6. लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक ढांचा (जहाँ लागू हो) :—

समाज कल्याण विभाग का संगठनात्मक ढांचों

विभाग के कार्यो/संचिकाओं के निष्पादन हेतु संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार है :—

प्रधान सचिव/सचिव

अपर सचिव/संयुक्त सचिव

उप—सचिव

अवर सचिव

प्रशाखा पदाधिकारी

सहायक

समाज कल्याण निदेशालय का संगठनात्मक ढांचा

निदेशक

उप—निदेशक

सहायक निदेशक

आई0सी0डी0एस0 निदेशालय का संगठनात्मक ढांचा

निदेशक

सहायक निदेशक

लेखा पदाधिकारी/अनुश्रवण पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी

प्रशाखा पदाधिकारी

सहायक

<u>जिला स्तर पर</u>

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी

प्रखंड / परियोजना / बाल विकास परियोजना पदाधिकारी

<u>सामाजिक सुरक्षा निदेशालय का संगठनात्मक ढांचा</u>

निदेशक

संयुक्त सचिव

उप–निदेशक (मुख्यालय)

सहायक निदेशक

प्रशाखा पदाधिकारी

सहायक

<u>क्षेत्रिय स्तर पर</u>

जिला स्तर पर –सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा

7. **<u>लोक प्राधिकरण की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षायें</u>** :– संगोष्ठी, प्रचार–प्रसार आदि के माध्यम जन सहायोग अपेक्षित ।

8. **<u>जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि / व्यवस्था</u>** :– निदेशालय स्तर पर निदेशक, प्रमंडलीय स्तर पर आयुक्त, जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, प्रोग्राम पदाधिकारी / अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी तथा प्रखंड स्तर पर प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जन सहयोग हेतु कार्यरत हैं ।

9. **<u>जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था</u>** :– सचिवालय स्तर पर सचिव, समाज कल्याण, निदेशालय स्तर पर निदेशकों, प्रमंडलीय स्तर पर आयुक्त तथा जिला स्तर पर जिलाधिकारियों द्वारा कार्यों का अनुश्रवण किया जाता है तथा प्रत्येक प्रशासनिक ईकाई पर शिकायतों के निवारण की व्यवस्था है ।

अध्याय– 3 (मैनुअल– 2)

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्ति एवं कर्त्तव्य ।

1. अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्त्तव्य का विवरण निम्न प्रकार है ।

पदनाम	सचिव
शक्तियाँ	**प्रशासकीय** :– बिहार सेवा संहिता, बिहार कार्यपालिका नियमावली एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सभी प्रशासकीय शक्तियाँ । **वित्तीय** :– बिहार वित्तीय नियमावली में प्रदत्त शक्तियाँ एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रदत्त सभी वित्तीय शक्तियाँ । **अन्य** :– ढाई करोड़ रुपये की लागत वाली नई योजना, स्कीमों की स्वीकृति (वशर्ते कि वजटीय प्रावधान हो तथा योजना का समावेश विभागीय योजना आलेख में हो) ।
कर्त्तव्य	बिहार कार्यपालिका नियमावली में निर्धारित सभी कार्यों का सम्पादन ।
पदनाम	निदेशक
शक्तियाँ	प्रशासकीय :– बिहार सेवा संहिता एवं राज्य सरकार द्वारा विभागाध्यक्ष को प्रदत्त सभी प्रशासकीय शक्तियाँ
कर्त्तव्य	बिहार कार्यपालिका नियमावली में निर्धारित सभी कार्यों का सम्पादन ।

अध्या– 4 (मैनुअल– 3)

कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख ।

1. लोक प्राधिकरण अथवा अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूची निम्न प्रारूप में प्रस्तुत करायें (यह सूचना प्रति अभिलेख के लिए पृथक से प्रस्तुत करें ।

अभिलेख का नाम	अभिलेख का प्रकार
बिहार वित्तीय नियमावली, वजट मैनुअल, यात्रा भत्ता नियमावली, बिहार कोषागार संहित, बिहार सेवा संहिता, बिहार पेंशन नियमावली, सचिवालय अनुदेश बोर्ड, प्रकीर्ण नियमावली, रेकर्ड मैनुअल, कार्यपालिका नियमावली, विभागीय कम्पेडियम इत्यादि ।	अनुदेश ।

निम्न में से किसी एक प्रकार को चुनें (नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका, अभिलेख अन्य)।

अभिलेख का परिचय		पुस्तक के रूप में
नियम, विनियम, अनुदेश नर्देशिका, अभिलेख की प्रति कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं ?	पता, दूरभाष, फैक्स, ई–मेल, अन्य ।	खुले बाजार से

अध्याय— 5 (मैनुअल—4)

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्था का विवरण ।

1. क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि की परामर्श/ भागीदारी का कोई प्रावधान है ? यदि है, तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारूप में प्रस्तुत करें।

क्रमांक	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है (हाँ/नहीं	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गयी व्यवस्था ।

नीति के कार्यान्वयन हेतुः—

क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधि से/की परामर्श/ भागीदारी का कोई प्रावधान है ? यदि है, तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारूप में प्रस्तुत करें।

क्रमांक	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है (हाँ/नहीं	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गयी व्यवस्था ।

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मुख्यालय स्तर पर अपीलीय प्राधिकार, लोक सूचना पदाधिकारी तथा सहायक लोक सूचना पदाधिकारी का विवरण ।

1. अपीलीय प्राधिकार	विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना
2. लोक सूचना पदाधिकारी	अवर सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना
3. सहायक लोक सूचना पदाधिकारी	—

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर अपीलीय प्राधिकार, लोक सूचना पदाधिकारी तथा सहायक लोक सूचना पदाधिकारी का विवरण ।

(क) समाज कल्याण निदेशालय :— 1. अपीलीय प्राधिकार	निदेशक, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना
2. लोक सूचना पदाधिकारी	सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना
3. सहायक लोक सूचना पदाधिकारी	—
(ख) आई0सी0डी0एस0 निदेशालय :— 1. अपीलीय प्राधिकार	निदेशक, आई0सी0डी0एस
2. लोक सूचना पदाधिकारी	सहायक निदेशक, आई0सी0डी0एस
3. सहायक लोक सूचना पदाधिकारी	—
(ग) सामाजिक सुरक्षा निदेशालय :— 1. अपीलीय प्राधिकार	निदेशक, सामाजिक सुरक्षा
2. लोक सूचना पदाधिकारी	सहायक निदेशक , सामाजिक सुरक्षा
3. सहायक लोक सूचना पदाधिकारी	—

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जिला स्तर पर अपीलीय प्राधिकार, लोक सूचना पदाधिकारी तथा सहायक लोक सूचना पदाधिकारी का विवरण ।

(क) जिला प्रोग्राम कार्यालय :– 1. अपीलीय प्राधिकार 1. लोक सूचना पदाधिकारी	 जिला पदाधिकारी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी
2. सहायक लोक सूचना पदाधिकारी	जिला प्रोग्राम के कार्यालय में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त प्रधान लिपिक/प्रभारी प्रधान लिपिक
(ख) सामाजिक सुरक्षा कार्यालय :– 1. अपीलीय प्राधिकार 2. लोक सूचना पदाधिकारी	 जिला पदाधिकारी सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा ।
3. सहायक लोक सूचना पदाधिकारी	सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त प्रधान लिपिक ।
(ग) बाल विकास परियोजनला कार्यालयः– 1. लोक सूचना पदाधिकारी	 बाल विकास परियोजना केन्द्र में पदस्थापित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ।
2. सहायक लोक सूचना पदाधिकारी	बाल विकास परियोजना कार्यालय में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त प्रधान लिपिक ।

<u>अध्याय– 6 (मैनुअल–5)</u>

लोक प्राधिकारी के पास या इनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रव (Categories) के अनुसार विवरण ।

<u>नीति निर्धारण हेतु</u>

1. लोक प्राधिकार के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों को देने हेतु निम्न प्रारूप का प्रयोग करें । साथ ही यह भी बतायें कि दस्तावेजों कहाँ उपलब्ध रहते हैं । जैसे कि सचिव स्तर पर, निदेशालय स्तर पर अन्य । (कृप्या अन्य का उपयोग करने के स्थान पर स्तर का उल्लेख करें)।

कमांक	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्रकिया	धारक/नियंत्रणाधीन
1.	पंजी	भंडार पंजी, इतिहास पंजी, वेतन निस्तार पंजी, विपत्र पत्र पंजी, आकस्मिक पंजी, स्टाम्प पंजी, निर्गत पंजी, चपरासी बही, सहायकों का लॉग बूक, गति पंजी,	लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से	सचिवालय स्तर पर सचिव । निदेशालय स्तर पर निदेशक । जिला स्तर पर प्रोग्राम

		आकस्मिक अवकाश पंजी, मनी रसीद, रोकड़ पंजी, मैंसेंजर पंजी, आवंटन पंजी एवं सेवा पुस्त		पदाधिकारी / सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा । प्रखंड स्तर पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ।

अध्याय—7 (मैनुअल— 6)

बोर्ड, परिषदों, व्यक्तियों एवं अन्य निकायों का विवरण ।

1. कृपया लोक प्राधिकरण से संबद्ध बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का संक्षिप्त विवरणी निम्न प्रारूप के आधार पर दें ।

- संबंद्ध संस्था का नाम एवं पता :— बिहार राज्य समाज कल्याण बोर्ड, पुनाईचक
- संबद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य)— बोर्ड
- संबद्ध संस्था की संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्येश्य / मुख्य कृत्य)— बोर्ड की स्थापना 1956 में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से उपेक्षित वर्ग के लोगों—विशेष कर महिलाओं के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने एवं उनके सहायतार्थ अन्य प्रकार के केन्द्रों होम्स, होस्टल्स एवं केच सेन्टर्स की स्थापना करने के उद्येश्य से की गयी है । बोर्ड का गठन कमजोर वर्ग के महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से समुन्नत बनाने हेतु किया गया है ।
- संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदातृ / प्रबंधकारिणी / कार्यकारिणी / अन्य)— कार्यकारिणी
- स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य — सम्प्रति सदस्यों की संख्या चार है । (संबंधित आदेश की छाया प्रति संलग्न की जा रही है ।)
- मुख्य अधिकारी का नाम —
- मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के ....
- बैठक की आवृति— मुख्य कार्यालय में प्रस्तावों के स्क्रीनिंग हेतु तीन या चार बैठक आयोजित किये जाते हैं ।
- क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है ? — नहीं ।
- क्या बैठक में कार्यवृत तैयार की जाती है ? — हाँ ।
- क्या जनता बैठक का कार्यवृत प्राप्त कर सकती है ? तो प्रकिया का विवरण दें :— बैठक का कार्यवृत जनता को उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है ।

बोर्ड, परिषदों, व्यक्तियों एवं अन्य निकायों का विवरण।

1. कृपया लोक प्राधिकरण से संबद्ध बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का संक्षिप्त विवरणी निम्न प्रारूप के आधार पर दें।

- **संबंद्ध संस्था का नाम एवं पताः—** स्टेट सोसाईटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफयेर,

द्वितीय तल, अपना घर, ललित भवन के पीछे, बेली रोड, पटना—23

- **संबंद्ध संस्थास का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाया या अन्य)—** सोसाईटी
- **संबंद्ध संस्था की संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य,/मुख्य कृत्य)—** स्टेट सोसाईटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के धारा 21 के अंतर्गत दिनांक 24.02. 2012 को निबंधित हुआ एवं इसकी निबंधन संख्या — 1320.2008.09 है।
- **संबंद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदाता/प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी/अन्य) —** योजना एवं परियोजना का कार्यान्वयन
- **स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य —** बायोलॉज संबंधित पृष्ठ संलग्न।
- **मुख्य अधिकारी का नामः—** श्री इमामुद्दीन अहमद/श्री कृष्ण कुमार सिन्हा
- **मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के**...................................
- **बैठक की आवृति—** कार्यकारिणी समिति (तीन माह में एक बार) एवं आम सभा (छः माह में एक बार)।
- **क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है ? —** नहीं।
- **क्या बैठक में कार्यवृत तैयार की जाती है? —**हाँ
- **क्या जनता बैठक का कार्यवृत प्राप्त कर सकती है ? तो प्रक्रिया का विवरण दें :—** नहीं

अध्याय—9 (मैनुअल— 8)

निर्णय होने की प्रकिया ।

1- किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए प्राधिकरण में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है (सचिवालय मैनुअल और विभागीय मैनुअल के नियमों, आदि नियमों का उल्लेख किया जा सकता है) :— सचिवालय अनुदेश, कार्यपालिका नियमावली एवं अन्य नियमावली एवं अनुदेशों, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में निर्णय लिए जाते हैं ।

2- किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया क्या है अथवा निर्णय लेने के लिए किस—किस स्तरों पर विचार किया जाना है — निर्धारित मापदण्डों एवं प्रदत्त वित्तीय शक्तियों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर संबंधित निदेशक, सचिवालय स्तर पर सचिव एवं राज्य सरकार के स्तर पर विचार किया जाता है ।

3- लिये गये निर्णय को जनता तक पहुँचाने के लिए क्या व्यवस्था है :— प्रेस के माध्यम से एवं परिपत्रों द्वारा ।

4- विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों की संस्तुति लेने के लिए प्राप्त की जाती है :— निदेशालय स्तर पर निदेशक, विभाग स्तर पर सरकार एवं कार्यपालिका नियमावली में निर्धारित शक्ति एवं रूप संबंध विभाग एवं मंत्रिमंडल की संस्तुति प्राप्त की जाती है ।

5- अंतिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत अधिकारी :— विभागीय सचिव ।

6- मुख्य विषय, जिस पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है, इसका विवरण निम्न प्रारूप में अलग से प्रस्तुत करें ।

1. विषय :— स्थानान्तरण / पदस्थापन	स्थापना समिति (अराजपत्रित एवं राजपत्रित)
2. दिशा—निदेश (यदि हो, तो	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र एवं विभागीय नियमावली के अनुसार
3. निर्णय लेने की प्रक्रिया	समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर सचिव / राज्य सरकार के अनुमोदन के आधार पर किया जाता है ।
4. निर्णय लेने में शामिल अधिकारी का पदनाम	सचिव, समाज कल्याण विभाग
5. निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना	
6. निर्णय के विरूद्ध कहाँ और कैसे अपील करें ।	सचिव के आदेश के विरूद्ध विभागीय मंत्री के समक्ष अपील किया जा सकता है ।

अध्याय— 10 (मैनुअल— 9)

समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की निदेशिका

क्रमांक	नाम	पदनाम
1.	श्री अतुल प्रसाद, भा0प्र0से0	प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग
2.	श्रीमती सुजाता चालाना, भा0प्र0से0	अपर सचिव समाज कल्याण विभाग
3	श्री वीरेन्द्र कुमार, भा0प्र0से0,	संयुक्त सचिव, समाज कल्याण
4.	श्री किशोरी पासवान	संयुक्त सचिव,
5.	श्री धंनन्जय ठाकुर,	अपर समाहर्ता स्तर पदाधिकारी,
6.	श्री मोहन लाल,	अवर सचिव,
7.	श्री विरेन्द्र कुमार,,	विशेष कार्य पदाधिकारी,
8.	श्री धमेन्द्र कुमार ब्रहमचारी	प्रधान आप्त सचिव,
9	श्री सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा	आप्त सचिव
10.	श्री जयप्रकाश रजक	प्रशाखा पदाधिकारी,
11.	श्री उदय प्रकाश सिंह	प्रशाखा पदाधिकारी,
12.	श्री अर्जुन लाल दास,	प्रशाखा पदाधिकारी,

13.	श्री प्रेम प्रकाश	सहायक
14.	श्री सुशील कुमार	सहायक
15.	श्री मारकांडे पासवान	सहायक
16.	श्री शैलेश कुमार	निजी सहायक
17.	श्री विनोद कुमार पासवान	सहायक
18.	श्री अंजनी कुमार मिश्र	सहायक
19.	श्री कन्हैया मिश्र	सहायक
20.	श्री कृष्ण कुमार सिन्हा	उ0व0लि0
21.	श्री राम किशोर सिंह	उ0व0लि0
22.	श्री रवि शंकर प्रसाद	उ0व0लि0
23.	श्री जलवा राम	आदेशपाल
24.	श्री राम चरित्र यादव	श्री राम चरित्र यादव
25.	श्री ओम प्रकाश सिंह, ट्रेजरी सकार	ट्रेजरी सकार
26.	श्री राजेश प्रसाद यादव	कार्यालय परिचारी
27.	श्री गोपाल प्रसाद	कार्यालय परिचारी
28.	श्री रामनाथ सिंह	चालक
29.	श्री सुनील कुमार,	चालक
30.	श्री योगेन्द्र विश्वकर्मा	चालक

कमांक	नाम	पदनाम
1	श्री रमाशंकर प्रसाद दफ्तुआर, भा0प्र0से	निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
2	श्री शिव कुमार सिन्हा	सहायक निदेशक
3	श्रीमती शशि सुधा कुमारी	सहायक निदेशक
4	श्री दिनानाथ प्रसाद	प्रशाखा पदाधिकारी
5	मो0 रियाजुल नबी	सहायक
6	श्री राकेश रंजन सिन्हा	सहायक
7	श्री प्रवीण कुमार	सहायक
8	श्री प्रकाश चन्द्र झा	सहायक
9	श्री नवीन कुमार दिवाकर	सहायक
10	श्री कृष्ण कुमार	उच्च वर्गीय लिपिक

11	श्रीमती मृतिका रत्नम	निम्न वर्गीय लिपिक
12	श्री आशुतोष कुमार	निम्न वर्गीय लिपिक
13	श्री ओंकार कुमार	निम्न वर्गीय लिपिक
14	श्री राज किशोर प्र0 सिंह	अनुसेवक
15	श्री अखिलेश्वर प्रसाद	अनुसेवक
16	श्री त्रिलोकी नाथ प्रसाद	अनुसेवक
17	श्रीमती प्रतिमा देवी	अनुसेवक

अध्याय– 11 (मैनुअल– 10)

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और इसके निर्धारण की पद्धति ।
समाज कल्याण विभाग, मुख्यालय में पदस्थापित पदाधिकारी/कर्मचारी

कमांक	नाम एवं पदनाम	वेतनमान
1	2	3
1.	श्री अतुल प्रसाद, भा0प्र0से0, सचिव, समाज कल्याण विभाग	22000—24500
2.	श्रीमती सुजाता चालाना, अपर सचिव भा0प्र0से0 समाज कल्याण विभाग	12000—16500
3	श्री वीरेन्द्र कुमार, भा0प्र0से0, संयुक्त सचिव, समाज कल्याण	12000—16500
4.	श्री किशोरी पासवान, संयुक्त सचिव,	6500—10500
5.	श्री धंनन्जय ठाकुर, अपर समाहर्ता स्तर पदाधिकारी,	6500—10500
6.	श्री मोहन लाल, अवर सचिव,	5500—9000
7.	श्री विरेन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी,	5500—9000
8.	श्री धमेन्द्र कुमार ब्रहमचारी, प्रधान आप्त सचिव,	5500—9000
9.	श्री सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, आप्त सचिव,	5500—9000
10.	श्री जयप्रकाश रजक, प्रशाखा पदाधिकारी,	5500—9000
11.	श्री उदय प्रकाश सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी,	5500—9000
12.	श्री अर्जुन लाल दास, प्रशाखा पदाधिकारी,	5500—9000
13.	श्री प्रेम प्रकाश, सहायक	5500—9000
14.	श्री सुशील कुमार, सहायक	5500—9000
15.	श्री मारकांडे पासवान, सहायक	5500—9000
16.	श्री शैलेश कुमार, निजी सहायक	6500—10500
17.	श्री विनोद कुमार पासवान, सहायक	4500—7000
18.	श्री अंजनी कुमार मिश्र, सहायक	4000—6000
19.	श्री कन्हैया मिश्र, सहायक	4000—6000
20.	श्री कृष्ण कुमार सिन्हा, उ0व0लि0	4000—6000
21.	श्री राम किशोर सिंह उ0व0लि0	5000—8000
22.	श्री रवि शंकर प्रसाद, उ0व0लि0	5000—8000

23.	श्री जलवा राम, आदेशपाल	10000—15200
24.	श्री राम चरित्र यादव	5500—9000
25.	श्री ओम प्रकाश सिंह, ट्रेजरी सकार	6500—10500
26.	श्री राजेश प्रसाद यादव, कार्यालय परिचारी	6500—10500
27.	श्री गोपाल प्रसाद, कार्यालय परिचारी	6500—10500
28.	श्री रामनाथ सिंह, चालक	10000—15200
29.	श्री सुनील कुमार, चालक	6500—10500
30.	श्री योगेन्द्र विश्वकर्मा, चालक	2550—3200
31.	श्रीमती लालमुनि देवी, कार्यालय परिचारी,	2750—4400

अध्याय – 11 (मैनुअल –10)

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और इसके निर्धारण की पद्धति।
सामाजिक सुरक्षा निदेशालय में पदस्थापित पदाधिकारी/कर्मचारी

कमांक	नाम	पदनाम	वेतनमान
1	2	3	4
1	श्री रमाशंकर प्रसाद दफ्तुआर, भा0प्र0से	निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	
2	श्री शिव कुमार सिन्हा	सहायक निदेशक	37400-67000 G.P-8700
3	श्रीमती शशि सुधा कुमारी	सहायक निदेशक	9300-34800 G.P-4800
4	श्री दिनानाथ प्रसाद	प्रशाखा पदाधिकारी	9300-34800 G.P-5400
5	मो0 रियाजुल नबी	सहायक	9300-34800 G.P-4600
6	श्री राकेश रंजन सिन्हा	सहायक	9300-34800 G.P-4800
7	श्री प्रवीण कुमार	सहायक	9300-34800 G.P-4600
8	श्री प्रकाश चन्द्र झा	सहायक	9300-34800 G.P-4601
9	श्री नवीन कुमार दिवाकर	सहायक	9300-34800 G.P-4602
10	श्री कृष्ण कुमार	उच्च वर्गीय लिपिक	9300-34800 G.P-4600
11	श्रीमती मृतिका रत्नम	निम्न वर्गीय लिपिक	5200-20200 G.P-1900
12	श्री आशुतोष कुमार	निम्न वर्गीय लिपिक	5200-20200 G.P-1900
13	श्री ओंकार कुमार	निम्न वर्गीय लिपिक	5200-20200

			G.P-1901
14	श्री राज किशोर प्र0 सिंह	अनुसेवक	5200-20200 G.P-2400
15	श्री अखिलेश्वर प्रसाद	अनुसेवक	5200-20200 G.P-2000
16	श्री त्रिलोकी नाथ प्रसाद	अनुसेवक	4440-7440 G.P-1800
17	श्रीमती प्रतिमा देवी	अनुसेवक	4440-7440 G.P-1300

अध्याय – 11 (मैनुअल –10)

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और इसके निर्धारण की पद्धति।
आई0सी0डी0एस0 निदेशालय में पदस्थापित पदाधिकारी/कर्मचारी

कमांक	नाम	पदनाम	वेतनमान
1	श्री रामाशंकर दफतुआर, भा.प्र.से.	निदेशक	118500.214100
2	श्री आर0एन0 वार्डियार, बि.प्र.से.	सहायक निदेशक	15600.39100
3	मो0 तारिक, बि.प्र.से.	सहायक निदेशक	15600.39100
4	श्रीमती भारती प्रियम्बदा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी	सहायक निदेशक	9300.34800
5	श्रीमती निरूपा कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी	विशेष पदाधिकारी	9300.34800
6	श्रीमती संगीता कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी	लेखा पदाधिकारी	9300.34800
7	श्रीमती श्वेता सहाय, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी	अनुश्रवण पदाधिकारी	9300.34800
8	श्री मदन सिंह	सांख्यिकी सहायक	9300.34800
9	श्री सुनील कुमार लाल दास	सांख्यिकी सहायक	9300.34800
10	श्रीमती कुमारी अनिता चौधरी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी	सहायक निदेशक	9300.34800
11	श्रीमती एम.एम. हाशमी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी	सांख्यिकी पदाधिकारी	9300.34800

12	श्री कृष्णमोहन प्रसाद सिन्हा	सांख्यिकी सहायक	9300.34800
13	श्री विनोद कुमार सिन्हा	सांख्यिकी सहायक	9300.34800
14	श्री ललन कुमार झा	लेखापाल–सह–भंडारपाल	9300.34800
15	श्री अनिल कुमार	लेखापाल–सह–भंडारपाल	9300.34800
16	श्री विश्वजीत कुमार सुमन	सांख्यिकी सहायक	9300.34800
17	श्री राजेश कुमार	सांख्यिकी सहायक	9300.34800
18	श्री अक्षय कुमार राय	लिपिक–सह–टंकक	9300.34800
19	श्री राजेश प्रसाद	लिपिक–सह–टंकक	9300.34800
20	श्री राजदेव प्रसाद सिन्हा (निलंबित)	आशुलिपिक	9300.34800
21	मो0 जमिलुर रहमान (समाज कल्याण निदेशालय मं प्रतिनियुक्त)	उच्च वर्गीय लिपिक	5200.20200
22	श्री विपिन बिहारी राय	लिपिक–सह–टंकक	5200.20200
23	श्रीमति रेखा शर्मा (बाल संरक्षण आयोग में प्रतिनियुक्त)	दिनचर्या लिपिक	5200.20200
24	श्री खुर्शीद आलम	निम्नवर्गीय लिपिक	5200.20200
25	मो0 कुमुद रानी (समाज कल्याण निदेशालय में प्रतिनियुक्त)	निम्नवर्गीय लिपिक	5200.20200
26	श्री जनेश्वर यादव (संविदा)	निम्नवर्गीय लिपिक	15123
27	श्री मुकेश कुमार (संविदा)	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	12830
28	श्री दीपक कुमार (संविदा)	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	12830
29	श्री दिनेश कामति (माननीय मंत्री स.क. विभाग के कोषांग में प्रतिनियुक्त)	चालक	9300.34800
30	श्री हरेन्द्र सिंह	चालक	5200.20200
31	श्री रामकरण ठाकुर	चालक	5200.20200
32	श्री बैद्यनाथ मिश्र	कार्यालय परिचारी	5200.20200
33	श्री अरूण कुमार सिन्हा	कार्यालय परिचारी	5200.20200
34	श्री केदार राम	कार्यालय परिचारी	5200.20200
35	श्री राजकिशोर रजक	कार्यालय परिचारी	4440.7440

स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर में पदस्थापित पदाधिकारी /कर्मचारी

क्रमांक	नाम	पदनाम	मोबाइल संख्या
1	श्री इमामुद्दीन अहमद	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	9471000437
2	कृष्ण कुमार सिन्हा	वरीय प्रषासी पदाधिकारी	9471007159
3	-	उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	-
4	प्रभाकर सचान	एसपीएम–सर्विसेज़ फॉर द ओल्डर पर्सन्स	9471007167
5	हेना नकवी	एसपीएम–कम्यूनिकेशन एण्ड रिसर्च	9471007162
6	सुशील कुमार श्रीवास्तव	एसपीएम– केपैसिटी बिल्डिंग	8544419035
7	प्रणव कुमार झा	फाइनैंस मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट	8544419038
8	फजले रब्बानी सिद्दकी	एसपीएम–पर्सन्स विद डिस्एबिलिटी	9471007165
9	अविनाश कुमार	एसपीएम–सर्विसेज़ फॉर द अल्ट्रा पूअर	9471007166
10	शहनवाज अहमद	एसपीएम–मॉनिटरिंग एण्ड इवैलुएान	8873207934
11	आकाश साव	प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट	8544401832
12	अरुणा वसंत उके	पीएम–केपैसिटी बिल्डिंग	9471007168
13	सज्जन कुमार	पीएम– सर्विसेज़ फॉर द ओल्डर पर्सन्स	8544419037
14	रणजीत कुमार	पीएम–कम्यूनिकेशन एण्ड रिसर्च	8544419036
15	रवि कुमार	पीएम–पर्सन्स विथ डिसिबिलिटी	8544419034
16	प्रशांत लाल	पीएम–मोनिटरिंग एण्ड इवैलूएशन	8544401831
17	शंभू नाथ सिंह	पीएम–बेगरी प्रेवेन्शन	8292191841
18	प्रशांत प्रियदर्शी	एपीएम–बेगरी प्रेवेन्शन	8544401825
19	लक्ष्मण कुमार	एकाउन्टेंट–एमबीएनवाई	9934250602

अध्याय—11 (मैनुअल—10)

स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर में पदस्थापित पदाधिकारी / कर्मचारी

क्रमांक	नाम	पदनाम	समेकित वेतन / वेतनमान
1	कृष्ण कुमार सिन्हा	वरीय प्रशासी पदाधिकारी	15600—39600
2	प्रणव कुमार झा	फाइनैंस मैनेजमेंट स्पेालिस्ट	50000.70000
3	फजले रब्बानी सिद्दकी	एसपीएम—पर्सन्स विद डिस्एबिलिटी	50000.70000
4	प्रभाकर सचान	एसपीएम—सर्विसेज़ फॉर द ओल्डर पर्सन्स	50000.70000
5	हेना नकवी	एसपीएम—कम्यूनिकेान एण्ड रिसर्च	50000.70000
6	सुशील कुमार श्रीवास्तव	एसपीएम— केपैसिटी बिल्डिंग	50000.70000
7	आकाश साव	प्रोक्योरमेंट स्पेालिस्ट	50000.70000
8	शहनवाज अहमद	एसपीएम—मॉनिटरिंग एण्ड इवैलुएान	50000.70000
9	अविनाश कुमार	एसपीएम—सर्विसेज़ फॉर द अल्ट्रा पूअर	50000.70000
10	रणजीत कुमार	पीएम—कम्यूनिकेशन एण्ड रिसर्च	37500.50000
11	सज्जन कुमार	पीएम— सर्विसेज़ फॉर द ओल्डर पर्सन्स	37500.50000
12	अरुणा वसंत उके	पीएम—केपैसिटी बिल्डिंग	37500.50000
13	रवि कुमार	पीएम—पर्सन्स विथ डिसिबिलिटी	37500.50000
14	प्रशांत लाल	पीएम—मोनिटरिंग एण्ड इवैलूएशन	37500.50000
15	शंभू नाथ सिंह	पीएम—बेगरी प्रेवेन्शन	37500.50000
16	प्रशांत प्रियदर्शी	एपीएम—बेगरी प्रेवेन्शन	20000.30000
17		जिला प्रबंधक (38 जिलें)	37500.50000
18	लक्ष्मण कुमार	एकाउन्टेंट—एमबीएनवाई	15000.20000
20		लेखापाल (38 जिलें)	15000.20000

समाज कल्याण निदेशालय के पदाधिकारियों का सम्पर्क नम्बर

कमांक	नाम	पदनाम	कार्यालय का पता	मोबाईल संख्या/ टेलीफोन
1	श्री रामाशंकर दफ्तुआर	निदेशक–सह–प्रथम अपीलीय प्राधिकार	समाज कल्याण निदेशालय, सिंचाई भवन, पुराना सचिवालय, बिहार, पटना	943100437 0612.2211718
1	श्रीमती प्रभा	कार्यक्रम प्रबंधक	समाज कल्याण निदेशालय, सिंचाई भवन, पुराना सचिवालय, बिहार, पटना।	9931610865
2	श्रीमती पूनम सिन्हा	कार्यक्रम प्रबंधक	राज्य बाल संरक्षण समिति, अपना घर, बेली रोड, पटना।	9431037094
3	श्रीमती संगीता भगत	सहायक निदेशक	समाज कल्याण निदेशालय, सिंचाई भवन, पुराना सचिवालय, बिहार, पटना।	7779963278
4	श्रीमती मंजू रानी	सहायक निदेशक	समाज कल्याण निदेशालय, सिंचाई भवन, पुराना सचिवालय, बिहार, पटना।	8809294888
5	श्रीमती जिन्नत कौशर	सहायक निदेशक	समाज कल्याण निदेशालय, सिंचाई भवन, पुराना सचिवालय, बिहार, पटना।	9934441550
6	श्री अनिता	सहायक निदेशक–सह–लोक सूचना पदाधिकारी	समाज कल्याण निदेशालय, सिंचाई भवन, पुराना सचिवालय, बिहार, पटना	9801697230
7	श्री राकेश रंजन	सहायक निदेशक	समाज कल्याण निदेशालय, सिंचाई भवन, पुराना सचिवालय, बिहार, पटना।	8406801085 7763954014
8	श्री घनश्याम ठाकुर	प्रशाखा पदाधिकारी	समाज कल्याण निदेशालय, सिंचाई भवन, पुराना सचिवालय, बिहार, पटना।	9430239875